रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032025-261471
CG-DL-E-05032025-261471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2025/फाल्गुन 13, 1946
No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2025/PHALGUNA 13, 1946

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2025

सा.का.नि. 158(अ).—अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा106 की उपधारा (2) के खंड (य) से (यछ) के साथ पठित धारा 34 की उपधारा (1), धारा 35, धारा 36 की उपधारा (1), धारा 37 की उपधारा (3), धारा 38 की उपधारा (1) और (4), धारा 39, धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा संख्या जी.एस.आर. 422(ई) दिनांक 7 जून, 2022 द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय पोत (चालक दल) नियम, 2022 में संशोधन का प्रस्ताव करती है और एतदद्वारा उन सभी व्यक्तियों के सूंचनार्थ अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित प्रकाशित करती है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है; और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तिथि से तीस दिन की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन इस अधिसूचना की प्रतियां, जैसा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, उप सचिव (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 536, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल द्वारा dsiwt-psw@gov.in और uttam.mishra27@gov.in पर ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं;

मसौदा संशोधन

1. (1) इन नियमों को मसौदा अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) (प्रथम संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके अंतिम रूप से प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022 (जिन्हे इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है) में, उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(कक) "अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान" से है नियम 21 के अंतर्गत अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है;

(कख) "मूलभूत सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम" से है निम्नलिखित पांच पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिनका पाठ्य विवरण और अवधि ऐसी वह होगी जैसा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा;

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में दक्षता;

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी;

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन; और

(v) नामित सुरक्षा कर्तव्यों वाले नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण;

(कग) "सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारण में रूपांतरण पाठ्यक्रम" ऐसा पाठ्यक्रम जिसका पाठ्य विवरण और अवधि यह होगी जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए;

(कघ) "प्रारंभिक पाठ्य विवरण" से डेक और इंजन भाग में विभिन्न ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसका पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी जैसा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए;

(कङ) "पुनश्चर्या और पुनर्विधिमान्यकरण पाठ्यक्रम" से डेक विभाग और इंजन विभाग पर विभिन्न ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम अभिप्रेत है, जिसका पाठ्य विवरण और अवधि वह होगी जैसा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए;

(कच) "अनुसूची" से है इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है जिसमें प्रशिक्षण संस्थानों के अनुमोदन के मानक अंतर्विष्ट हैं।"

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (3) में, तालिका में:

i. श्रेणी क में -

क. पंक्ति संख्या 2 में, दोनों स्थानों पर आने वाला अंक "500" के स्थान पर अंक "300" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. पंक्ति संख्या 2 में, दोनों स्थानों पर आने वाला अंक "1600" के स्थान पर अंक "1000" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ग. पंक्ति संख्या 3 में, कॉलम जीटी <500 में, "मास्टर श्रेणी 3/सेरांग" शब्दों के स्थान पर "मास्टर श्रेणी 2" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

घ. पंक्ति संख्या 6 में, कॉलम केडब्ल्यू ≥ 750 प्रणोदन शक्ति में, खंड (क) में, शब्दों जिसके पास अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाण-पत्र प्राप्त "एक मुख्य अभियंता है के पश्चात, शब्द " या एक मुख्य अभियंता जिसके पास अंतर्देशीय इंजन चालक श्रेणी 1 का प्रमाण-पत्र और जिसके पास ≥ 750 केडब्ल्यू वाले जलयान पर इंजन चालक श्रेणी 1 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

ङ पंक्ति संख्या 8 में, दोनों स्थानों पर आने वाला अंक "500" के स्थान पर अंक "300" प्रतिस्थापित किया जाएगा; "और केडब्ल्यू" शब्द के स्थान पर "या के डब्ल्यू" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ii. श्रेणी ख में, -

क. पंक्ति संख्या 12 में, दोनों स्थानों पर आने वाला अंक "500" के स्थान पर अंक "300" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ख. पंक्ति संख्या 12 में, अंक "1600" के स्थान पर अंक "1000" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

iii. तालिका में नोट 1 के स्थान पर, "नियमों के लागू होने की तिथि से 2 वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इन नियमों के लागू होने की तिथि से 5 वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

iv. नोट 2 के पश्चात, निम्नलिखित नोट अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्। -

"नोट 3: 1000 जी.टी. से अधिक के जलयानों के लिए डेक साइड और इंजन भाग के लिए निर्धारित चालक दल के अलावा, 3000 जी.टी. से अधिक के जलयानों पर एक मास्टर फॉरेन गोइंग या मास्टर नियर कोस्टल वॉयेज वेसल (एन.सी.वी.) और एक मेट फॉरेन गोइंग या मेट नियर कोस्टल वॉयेज वेसल (एन.सी.वी.) और एक मरीन इंजन ऑफिसर (एम.ई.ओ.) नियर कोस्टल वॉयेज वेसल (एन.सी.वी.) श्रेणी II होगा।

नोट 4: यदि चालक दल की कमी होने की स्थिति में नामोद्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (3) में निर्धारित चालक दल से कम चालक दल निर्दिष्ट कर सकता है।"

4. उक्त नियमों के नियम 5 में:

i. उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। -

(क) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी परिवहन मंत्रालय मास्टर (विदेश जाने वाले) या प्राप्त समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी-I योग्यता प्रमाण-पत्र धारक और पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष पर प्रमाण पत्रित अधिकारी के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव हो; या

(ख) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी परिवहन मंत्रालय प्रथम मेट (विदेश जाने वाले) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी II योग्यता प्रमाण-पत्र रखता है, और पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष संगठन में प्रमाण पत्रित अधिकारीके रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो; या

(ग) माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (एसएससी) और उससे ऊपर की शैक्षणिक अर्हताएं तथा अंतर्देशीय पोत मास्टर श्रेणी-I या अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाण-पत्र और अंतर्देशीय जलयान या राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या नौवहन या पत्तनों के महानिदेशालय या समकक्ष संगठन में प्रमाण पत्रित अधिकारी के रूप में कम से कम 20 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष पोतों या राज्य समुद्री बोर्ड या नौवहन या पत्तनों के महानिदेशालय में मास्टर या मुख्य अभियंता की क्षमता में रहा हो; या

(घ) मास्टर [तटीय यात्रा पोत (एनसीवी)] या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी III (तटीय यात्रा पोत-मुख्य अभियंता अधिकारी के निकट) प्रमाण-पत्र और कम से कम 20 वर्ष का नौकायन अनुभव हो, जिसमें कम से कम 5 वर्ष पोतों या राज्य समुद्री बोर्ड या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय में प्रमाण पत्रित अधिकारी की क्षमता में रहा हो। या

(ङ) उपरोक्त (क), (ख), (ग) या (घ) में यथा उल्लिखित योग्यता रखता हो और इन नियमों की अधिसूचना के बाद नियुक्त किसी भी मुख्य परीक्षक के मामले में -

(i) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय या वाणिज्यिक समुद्री विभाग में संकाय सदस्य या परीक्षक के रूप में अनुभव; और

(ii) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अंतर्देशीय पोतों संबंधी प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

परंतु नामोद्दिष्ट प्राधिकारी मास्टर फॉरेन गोइंग मास्टर या मैरीन इंजीनियर ऑफिसर श्रेणी I मुख्य परीक्षकों को इस पाठ्यक्रम की अपेक्षा से छूट दे सकता है।"

स्पष्टीकरण- संकाय सदस्य या परीक्षक के रूप में अनुभव की अवधि की गणना इस उप-नियम के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत अपेक्षित शिपबोर्ड या अंतर्देशीय पोत अनुभव के लिए की जा सकती है।

ii. उप-नियम (7) में:

(क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(क) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी परिवहन मंत्रालय मास्टर (विदेश जाने वाला) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी I योग्यता प्रमाण-पत्र और पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष संगठन में प्रमाण पत्रित अधिकारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो; या"

(ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी परिवहन मंत्रालय प्रथम मेट (विदेश जाने वाला) या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी II योग्यता प्रमाण-पत्र हो और पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष संगठन में प्रमाण पत्रित अधिकारी के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव हो; या"

(ग) खंड (ग) में, "अंतर्देशीय पोतों पर सेवा के वर्ष" शब्दों के पश्चात, "या राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नौवहन महानिदेशालय या पत्तन या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष संगठन" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे;

(घ) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

"(घ) मास्टर [तटीय यात्रा पोत (एनसीवी) के निकट] या समुद्री इंजीनियर अधिकारी (एमईओ) श्रेणी III (तटीय यात्रा पोत के निकट-मुख्य इंजीनियर अधिकारी) प्रमाण-पत्र हो और कम से कम 5 वर्ष पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन महानिदेशालय या पत्तनों या राज्य अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय या समकक्ष संगठन में मास्टर या मुख्य इंजीनियर की क्षमता में रहा हो; और"

(ङ) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) उपरोक्त (क), (ख), (ग) या (घ) में यथाउल्लिखित अर्हता रखता हो और इन नियमों की अधिसूचना के बाद नियुक्त किसी परीक्षक के मामले में:

(i) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय या वाणिज्यिक समुद्री विभाग में संकाय सदस्य या परीक्षक के रूप में अनुभव हो और

(ii) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में अंतर्देशीय पोत संबंधी प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम पूरा किया हो।

परंतु नामोद्दिष्ट प्राधिकारी मास्टर फॉरेन गोइंग मास्टर या मैरीन इंजीनियर ऑफिसर श्रेणी-I परीक्षकों को इस पाठ्यक्रम की अपेक्षा से छूट दे सकता है।"

5. उक्त नियमों के नियम 6 में:

i. उप-नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) किसी भी अभ्यर्थी को इन नियमों के फॉर्म नंबर 4 और फॉर्म नंबर 5 में वि ृणत सक्षमता का प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह न्यूनतम 50% अंक प्राप्त न कर ले";

ii. उप-नियम (2) में, "सक्षम प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

iii. उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) उप-नियम (2) में उल्लिखित सक्षमता प्रमाण-पत्र के सभी धारकों के लिए सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष के पश्चात और उसके पश्चात प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा।"

6. उक्त नियमों के नियम 8 में, उप-नियम (1) में:

i. खंड (ख) में, अंक "500" के स्थान पर, अंक "300" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

ii. खंड (ग) में, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नामोद्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "एमबीबीएस डॉक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

iii. खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

iv. "किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो"

v. खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "(ङ) किसी अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित संस्थान में अंतर्देशीय पोतों संबंधी पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।"

7. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) में:

i. खंड (ग) में, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नामाद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "एमबीबीएस डॉक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ii. खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(घ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर वर्ग 2 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक पूरा किया हो।"

iii. खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय पोत संबंधी पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।"

8. उक्त नियमों के नियम 10 में, -

i. उप-नियम (1) के खंड (ग) में, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नामोद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "एमबीबीएस डॉक्टर" शब्द प्रतिस्थापित जाएंगे।

ii. उपनियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 3 या सेरंग के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।"

iii. उपनियम (1) के खंड (ई) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ड) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय पोत संबंधी पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।"

iv. उपनियम (3) में, "नए प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए 2 वर्ष का समय" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "नया प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के लिए इन नियमों के प्रवृत होने की तिथि से 5 वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों के नियम 11 के उपनियम (1) में, -

i. खंड (क) में, "केन्द्रीय या राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात, "या किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारण के लिए रूपांतरण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

ii. खंड (ग) में –

(क) उपखंड (i) में अंक "500" के स्थान पर अंक "300" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उपखंड (iii) में अंक "15" के स्थान पर अंक "10" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

iii. खंड (घ) में "या सहायक मास्टर (डेक) या सीकनी" शब्दों के पश्चात "या बोट मास्टर या समकक्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

iv. खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् –

(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और

(च) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय पोत संबंधी पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।"

10. उक्त नियमों के नियम 12 में:

i. उपनियम (1) में –

(क) उप-खण्ड (ii) में, "राज्य द्वारा अनुमोदित समान प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारण पाठ्यक्रम" शब्दों के स्थान पर, "किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-खण्ड (iii) में, "या सीकनी के रूप में" शब्दों के पश्चात, "या समतुल्य" शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे।

ii. उप-नियम (2) को उप-नियम (3) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा तथा पुनः क्रमांकित उप-नियम (3) को इस प्रकार क्रमांकित करने से पूर्व, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उप-नियम (1) में अपेक्षाओं के अतिरिक्त, योग्यता निर्धारण रूट के माध्यम से प्रत्येक नई अपेक्षा, जिसमें विद्यमान लस्कर या डेक हैंड्स या सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारण शामिल हैं, निम्नांकित होंगी:

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ख) कम से कम इक्कीस वर्ष की आयु का होना चाहिए;

(ग) चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एमबीबीएस डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए;

(घ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा अंतर्देशीय जलयानों पर न्यूनतम 36 महीने की सेवा की हो; तथा

(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।

11. उक्त नियमों के नियम 13 में:

i. उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"कैडेट प्रशिक्षण रूट के माध्यम से नए प्रवेशकों के लिए अंतर्देशीय जलयानों के मास्टर श्रेणी 3 या सेरांग या इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं -

(1) कैडेट प्रशिक्षण रूट के माध्यम से प्रत्येक नए प्रवेशकों के प्रमाणन के प्रयोजनों के लिए, -

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ख) इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए;

(ग) चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म संख्या 1 में अपनी शारीरिक फिटनेस के बारे में एमबीबीएस डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए;

(घ) निम्नलिखित में से कोई भी शैक्षणिक योग्यता रखते हों:

(i) अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(ii) अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से व्यावसायिक या कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो; या

(iii) अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

(ङ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से अंतर्देशीय पोत कैडेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जिसका पाठ्यविवरण और अवधि वह होगी जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाए सकती है;

(च) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय पोतों के लिए पांच बुनियादी सुरक्षा और सुरक्षा पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो; और

(छ) अंतर्देशीय पोतों या समुद्र में जाने वाले पोतों पर:

(i) यदि अभ्यर्थी के पास इस उप-नियम के खंड (घ) के उप-खंड (i) के तहत शैक्षणिक योग्यता है, तो दो वर्ष की सेवा की हो; या

(ii) यदि अभ्यर्थी के पास इस उप-नियम के खंड (घ) के उप-खंड (ii) के तहत शैक्षणिक योग्यता है, तो 18 माह; या

(iii) यदि अभ्यर्थी के पास इस उपनियम के खंड (घ) के उपखंड (iii) के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता है, तो 12 माह की सेवा की हो।

लेकिन कुल सेवा पोत संबंधी सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ अंतर्देशीय पोत कैडेट प्रशिक्षु के रूप में की गई हो, जिसका सत्यापन रिकार्ड पुस्तिका से किया गया हो और राज्य में पत्तनों पर चलने वाले जलयानों पर या अंतर्देशीय जलयानों पर योग्य मास्टर श्रेणी 1 या श्रेणी 2 या श्रेणी 3 सेरंग या इंजन चालक श्रेणी 1 या इंजन चालक श्रेणी 2 के तहत कम से कम छह महीने की वॉच कीपिंग सेवा की हो।"

ii. उपनियम (3) का लोप किया जाएगा।

12. उक्त नियमों के नियम 15 में:

i. उपनियम (1) में, -

(क) खंड (क) में, "अधिनियम के तहत जारी योग्यता सेवा और शैक्षणिक योग्यता के साथ या" शब्दों के स्थान पर "अधिनियम के तहत जारी योग्यता का प्रमाण-पत्र और उसकी शैक्षणिक योग्यता" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "750 किलोवाट" के अंक और इकाई के स्थान पर, "425 किलोवाट" के अंक और इकाई को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (ग) में, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नामोद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "एमबीबीएस डॉक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) खंड (घ) में, "अंतर्देशीय पोत इंजीनियर संबंधी अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरी किया हो, जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम होगा" शब्दों के स्थान पर, "किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में अंतर्देशीय पोत इंजीनियर संबंधी प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा। - "किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय पोत संबंधी पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हो।"

ii. उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

13. उक्त नियमों के नियम 16 में:

i. उप-नियम (1) में, खंड (ग) में, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नामोद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "एमबीबीएस डॉक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

ii. उप-नियम (1) में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा -

"किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में इंजन चालक श्रेणी- 1 के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो"

iii. उप-नियम (1) में, खंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा। -

"किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय पोतों संबंधी पांच बुनियादी सुरक्षा और सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हो"

iv. उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

14. उक्त नियमों के नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"17. **अंतर्देशीय जलयान के इंजन चालक श्रेणी- 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं –**

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 1 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एमबीबीएस डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से 1 महीने की अवधि का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा किया हो और उसके पास पाठ्यक्रम पूरा करने का वैध प्रमाण-पत्र हो।

(ङ) सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारण के रूप में अंतर्देशीय पोतों पर न्यूनतम 36 महीने की सेवा हो; तथा

(च) अंतर्देशीय पोतों पर सेवारत विद्यमान इंजन चालक को श्रेणी- 2 को इंजन चालक श्रेणी- 2 के रूप में सेवा करने की अनुमति होगी और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए IV चालक दल नियम, 2022 के प्रवृत होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की सेवा दी हो।

15. नियम 18 के उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(3) इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र संख्या 2 में सेवा प्रमाण-पत्र, जारी किया जाएगा और इसका वही प्रभाव होगा जो इन नियमों के प्रदत्त सक्षमता प्रमाण-पत्र का है।"

16. उक्त नियमों के नियम 19 में:

i. उप-नियम (1) के खंड (घ) में, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण या नामोद्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "एमबीबीएस डॉक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

ii. उप-नियम (1) के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) यदि नया प्रवेशार्थी है, तो उसने किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारण प्रशिक्षण पूरा किया हो";

iii. उप-नियम (1) के खंड (च) के परन्तुक में, "और ऐसा रूपांतरण पाठ्यक्रम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम होगा" शब्दों के स्थान पर, "किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

iv. उपनियम (1) के खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(छ) किसी भी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में अंतर्देशीय जलयानों संबंधी पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम पूरे किए हों।";

v. उपनियम (2) का लोप किया जाएगा;

vi. उपनियम (3) को उपनियम (2) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनःक्रमांकित उपनियम (2) में "न्यूनतम 2 वर्ष का समय" अंकों और शब्दों के स्थान पर "इन नियमों के प्रवृत होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

17. उक्त नियमों के नियम 20 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"21. **प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन –** इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, प्रशिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित किया जाएगा:

i. अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संस्थानों के लिए, अनुसूची के अनुसार संबंधित राज्य सरकार; और

ii. निम्नलिखित संस्थानों के लिए अनुसूची के अनुसार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण:

(क) केंद्र सरकार या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित संस्थान; या

(ख) किसी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाला संस्थान, यदि राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है।

22. **नाविक पहचान रिकॉर्ड पुस्तिका जारी करना -** (1) किसी भी व्यक्ति को नाविक पहचान अभिलेख पुस्तिका प्राप्त किए बिना, जिसमें आईएनडीवीआईसी संख्या शामिल होगी, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी यंत्रचालित अंतर्देशीय पोत पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

(2) सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारित या रूपांतरण पाठ्यक्रम, जैसा भी स्थिति हो,के लिए प्रवेश प्रशिक्षण के तहत पाठ्यक्रम पूरा करने से पहले प्रत्येक नए प्रवेशकर्ता या मौजूदा सामान्य प्रयोजन योग्यता निर्धारण, उस राज्य के नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को पोर्टल के माध्यम से नाविक पहचान रिकॉर्ड पुस्तिका जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा जिसमें अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान स्थित है।

(3) प्रत्येक विद्यमान सक्षमता प्रमाण-पत्र धारक, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर, नाविक पहचान रिकॉर्ड पुस्तिका जारी करने के लिए पोर्टल उस राज्य के नामोद्दिष्ट प्राधिकारी को के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा, जिसमें सक्षमता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी, पोर्टल के माध्यम से जारी नाविक पहचान और अभिलेख पुस्तकों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा।

(5) नामोद्दिष्ट प्राधिकारी, अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थानों से पूरे किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विवरण और इस अधिनियम के तहत पंजीकृत जलयानों पर चालक दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा की गई सेवाओं के विवरण अद्यतन करेगा।"

18. उक्त नियमों के पश्चात, निम्नलिखित अनुसूची अंत: स्थापित जाएगी, अर्थात्: -

"अनुसूची-1

राज्य सरकारों और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा अंतर्देशीय पोत चालन प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों के अनुमोदन संबंधी मानक

भाग 1 - अंतर्देशीय पोत चालन प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन

1.1 **इस अनुसूची का अनुपालन**

क) अंतर्देशीय पोत (चालक दल) नियम, 2022 की अधिसूचना की तिथि से, अंतर्देशीय पोत चालन प्रशिक्षण संस्थानों ("आईवीएनटीआई") को अंतर्देशीय पोत (चालक दल) नियम, 2022 के खंड 21 के अनुसार राज्य सरकार या आईडब्ल्यूएआई ("अनुमोदन प्राधिकारी") द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ख) राज्य सरकारों या केंद्र सरकार या आईडब्ल्यूएआई द्वारा स्थापित मौजूदा आईवीएनटीआई का लक्ष्य 31 दिसंबर, 2025 तक इस अनुसूची की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, किसी भी छूट के अध्यधीन होगा जैसा अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा की जाए।

ग) अंतर्देशीय पोतों संबंधी सभी पाठ्यक्रम, किसी नए प्रवेशकर्ता द्वारा इस अनुसूची के तहत मानकों और प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किसी भी आईवीएनटीआई या नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किसी संस्थान में पूरे किए जा सकते हैं, बशर्ते कि वे इस अनुसूची में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करें। महानिदेशक नौवहन द्वारा अनुमोदित संस्थानों के मामले में, अनुमोदन/निरीक्षण/निरसन आदि संबंधी सभी अपेक्षाएं और प्रक्रियाएं महानिदेशालय नौवहन द्वारा उनकी प्रक्रियाओं के अनुसार पूरी की जाएंगी।

1.2 **पात्र संस्थाएं**

क) प्रत्येक आईवीएनटीआई की स्थापना और उसका संचालन निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा:

i. कोई व्यक्ति; या

ii. हिंदू अविभक्त कुटुम्ब; या

iii. समय-समय पर यथासंशोधित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या किसी अन्य संगत अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी; या

iv. न्यास के अध्यक्ष/सचिव के माध्मय से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत न्यास या समय-समय पर यथासंशोधित लागू राज्य न्यास कानून या किसी अन्य पंजीकृत कोई भी सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास या

v. कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित कंपनी; या

vi. केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या उनके द्वारा पंजीकृत सोसायटी या न्यास; या

vii. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अर्थ में सीमित दायित्व भागीदारी; या

viii. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अर्थ में साझेदार फर्म; या

ix. व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं; या

x. कोई भी अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आता हो।

1.3 **संस्थान की आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया**

(क) आवेदन की स्वीकृति दो चरणों में होगी:

i. सैद्धांतिक स्वीकृति; और

ii. अंतिम रूप से स्वीकृति

(ख) सैद्धांतिक स्वीकृति और अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्रक्रिया शुल्क के साथ पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) सैद्धांतिक स्वीकृति, अंतिम रूप से स्वीकृति तथा परिसर के स्थानांतरण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुल्क अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(घ) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

i. भूमि या परिसर का विवरण, जहां संस्थान स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, तथा स्वामित्व या पट्टे के प्रमाण या भूमि/परिसर के मालिक से प्रस्तावित विक्रय-करार या मालिक से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ पट्टे के लिए प्रस्तावित करार के साथ।

ii. इस अनुसूची के भाग 2 के अनुसार प्रस्तावित अवसंरचना का विवरण।

iii. आईवीएनटीआई का प्रस्तावित नाम जिसे भी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

लेकिन "सरकार", "भारत", "राष्ट्रीय", "राज्य" जैसे शब्दों का प्रयोग प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 के अनुसार निषिद्ध होगा।

iv. प्रत्येक आईवीएनटीआई का एक विशिष्ट नाम होना आवश्यक होगा।

v. प्रारंभिक पूंजीगत व्यय और आवर्ती व्यय के लिए आईवीएनटीआई के वित्तपोषण का प्रस्तावित स्रोत

vi. व्यवसाय योजना और परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित बैच की संख्या जो प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 20 छात्रों से कम नहीं होगी;

ख. वार्षिक समय अंतराल की अवधि जब प्रत्येक पाठ्यक्रम चलाया जाएगा;

ग. प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना;

घ. कक्षाओं की प्रस्तावित संख्या; और

ङ संकाय सदस्यों की प्रस्तावित संख्या।

vii. प्रत्येक पाठ्यक्रम की वार्षिक क्षमता प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदित बैच की संख्या और प्रत्येक पाठ्यक्रम को सालाना आधार पर कितनी बार चलाया जाएगा, इस पर आधारित होगी। चलाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की कुल वार्षिक क्षमता सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक क्षमता का योग होगी।

viii. संस्थान में चलाए किए जाने वाले प्रस्तावित वैधानिक पाठ्यक्रमों और मूल्यवर्धित पाठ्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा यथागठित जांच समिति आवेदन और सहायक दस्तावेजों का मूल्यांकन करेगी। जांच कमेटी की सिफारिशों और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, अनुमोदन प्राधिकारी आवेदन की तिथि से एक महीने के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी देगा या उसे अस्वीकार कर देगा। आवेदन में कमी के मामले में, आवेदक को इसकी सूचना दी जाएगी और वह उसमें सुधार के बाद फिर से आवेदन कर सकता है। यदि सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है, तो संस्थान को सिस्टम द्वारा निकाला गया एक विशिष्ट अनंतिम आईवीएनटीआई नंबर जारी किया जाएगा।

(च) सैद्धांतिक स्वीकृति की वैधता, दीआर्घकालिक आवासीय पाठ्यक्रमों के प्रारंभ के लिए इसकी प्राप्ति की तिथि से 5 वर्ष तथा कक्षा पाठ्यक्रम के प्रारंभ के लिए इसकी प्राप्ति की तिथि से 2 वर्ष होगी।

1.4 संस्थान के अंतिम रूप से अनुमोदन की प्रक्रिया

(क) आवेदक, सैद्धांतिक स्वीकृति की वैधता की अवधि के भीतर किसी भी समय अनुमोदन प्राधिकारी को संस्थान के तैयार होने के बारे में सूचित करेगा, जिसके बाद फील्ड निरीक्षण समिति ("एफवीसी") संस्थान के तैयार होने का भौतिक सत्यापन करेगी।

(ख) आवेदक, ऑनलाइन आवेदन प्ररूप के अनुसार स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ अंतिम अनुमोदन के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(ग) जांच समिति आवेदकों द्वारा प्रस्तुत स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ आवेदन का मूल्यांकन करेगी।

(घ) एफवीसी का गठन अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। एफवीसी, संस्थान की अवसंरचना सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करेगी।

(ङ) एफवीसी, अवसंरचना, प्रशासन, सुविधाओं, प्रयोगशाला उपकरणों, संगत दस्तावेजों और आईवीएनटीआई की अन्य अनिवार्य और वांछनीय अपेक्षाओं के संबंध में संस्थान के तैयार होने का सत्यापन करेगा।

(च) एफवीसी इस अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के तहत प्रिंसिपल/निदेशक और संकाय की नियुक्ति में हुई प्रगति का भी सत्यापन करेगा।

(छ) एफवीसी सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज की मांग कर सकती है।

(ज) वे पाठ्य चर्चा और पाठ्य विवरण के अनुसार उपकरणों की वास्तविक उपलब्धता और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, प्रिंटर, पुस्तक शीर्षकों, पुस्तक खंडों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सदस्यता और आईवीएनटीआई के डिजिटल स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि का सत्यापन करेंगे।

(झ) एफवीसी द्वारा भौतिक निरीक्षण के समय, संस्थान, एफवीसी की पूरी कार्यवाही की तिथि और समय के साथ संस्थान के खर्च पर वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करेगा। संस्थान इसे प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करेगा और वेब पोर्टल में लिंक साझा करेगा।

(ञ) सत्यापन पूरा होने के बाद, एफवीसी अपनी सिफारिशें अनुमोदन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(ट) आवेदकों को अनुमोदन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाएगा।

1.5 अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना

(क) अनुमोदन प्राधिकारी, समितियों की सिफारिशों और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा, अर्थात् वह स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लेगा या अन्यथा कमियों के बारे में सूचित करेगा या अंतिम रूप से स्वीकृति के लिए आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसे अस्वीकार कर सकता है। कमियों के बारे में सूचित किए जाने की स्थिति में, आवेदक उसमें सुधार के बाद पुनः आवेदन कर सकता है।

(ख) अनुमोदन प्राधिकारी का निर्णय, वेब-पोर्टल पर स्वीकृति पत्र (एलओए) या दोष-पत्र (एलओडी)/अस्वीकृति पत्र (एलओआर) के रूप में अपलोड किया जाएगा। अस्वीकृति के मामले में, अस्वीकृति के विशिष्ट कारण सूचित किए जाएंगे।

(ग) आवेदक को सैद्धांतिक स्वीकृति की वैधता अवधि के भीतर अंतिम स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(घ) स्थायी आईवीएनटीआई नंबर तब जारी किया जाएगा जब आईवीएनटीआई को सांविधिक या अन्य पाठ्यक्रम चलाने करने के लिए मंजूरी मिल जाएगी।

1.6 आईवीएनटीआई द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की स्वीकृति

(क) संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम, अंतर्देशीय पोत (चालक दल) नियम, 2022 के अनुसार होंगे और पाठ्यक्रमों का विवरण और अवधि वह होगी जैसा आईडब्ल्यूएआई द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(ख) "बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा प्रशिक्षण" पाठ्यक्रम की मंजूरी [अर्थात्। व्यक्तिगत जीवन रक्षा तकनीक (पीएसटी), व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी (पीएसएसआर), प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए), आग की रोकथाम और अग्निशमन (एफपीएफएफ)] और नामोद्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों वाले नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण (एसटीएसडीएसडी) को किसी भी समय एक समग्र पैकेज के रूप में माना जाएगा।

(ग) किसी भी अंतर्देशीय पोत नौचालन प्रशिक्षण संस्थान को पाँच पाठ्यक्रमों से कम के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जिसमें 1.10.3 में यथाउल्लिखित 5 पाठ्यक्रम शामिल हैं, को 5 पाठ्यक्रमों के बराबर माना जाएगा।

(घ) यदि अंतर्देशीय पोत चालन प्रशिक्षण संस्थान छह महीने की अवधि के लिए पांच से कम पाठ्यक्रम संचालित करता है, तो आईवीएनटीआई के सभी अनुमोदन वापस लिए गए माने जाएंगे।

1.7 परिसर का स्थानांतरण

संस्थान के परिसर को एक स्थान या जगह से दूसरे स्थान या जगह पर स्थानांतरित करने के मामले में संस्थान अनुमोदन के लिए लागू प्रक्रिया शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन करेंगे। संस्थान वास्तव में ऐसी मंजूरी मिलने के बाद ही स्थानांतरित होगा। ऐसे आवेदनों का निपटान उनकी प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।

1.8 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संस्थान, अनुमोदन प्राधिकारी को सूचित करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को मनोनीत करेंगे।

1.9 गुणवत्ता मानक

संस्थान निम्नलिखित गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करेंगे:

(क) आईवीएनटीआई को अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के 12 महीनों के भीतर आईएसओ प्रमाणन या समकक्ष प्रमाणन प्राप्त करना होगा।

(ख) आईडब्ल्यूएआई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्य विवरण के अनुसार बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रमों का अनुपालन

(ग) आईवीएनटीआई यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रिंसिपल, संकाय, प्रशिक्षक और विजिटिंग फैकल्टी इस अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट योग्यताओं का अनुपालन करते हैं।

भाग 2 - अवसंरचना

2.1 नये आईवीएनटीआई की स्थापना

(क) इस अनुसूची की धारा 1.2 के तहत पात्रता निकाय के पास अंतिम रूप से अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपेक्षित पट्टे वाली या स्वामित्व वाली भूमि या भवन का वैध कब्जा होना चाहिए।

(ख) भवन का निर्माण लागू स्थानीय या नगरपालिका कानूनों के अनुसार किया जाएगा और संबंधित सांविधिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अधिभोग प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

2.2 भूमि संबंधी अपेक्षाएं

(क) भूमि संबंधी अपेक्षाएं के लिए:

i. जीपी योग्यता निर्धारण पाठ्यक्रम (आवासीय) चलाने का प्रस्ताव करने वाले संस्थानों के पास न्यूनतम 2 एकड़ (स्वामित्व या पट्टे पर) का एक स्वतंत्र परिसर होना चाहिए। पट्टे पर प्राप्त गई भूमि की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष होनी चाहिए।

ii. केवल कक्षा पाठ्यक्रम चलाने करने का प्रस्ताव करने वाले संस्थान पट्टे/स्वामित्व वाले परिसर के माध्यम से इस अनुसूची में निर्दिष्ट अवसंरचना आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते वे स्विमिंग पूल, फायर मॉकअप टाई अप आदि जैसी अपेक्षित आवश्यकताओं को स्वयं या टाई अप के माध्यम से पूरा करें।

(ख) भूमि या पट्टे पर प्राप्त परिसर का उपयोग मुख्य रूप से अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाने के लिए किया जाएगा।

(ग) भवन का निर्माण और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा:

i. भवनों का नियमित निर्माण होगा और समुचित छत होगी।

ii. भवनों आग का पता लगाने और आग अलार्म प्रणाली से लैस होंगे।

iii. भवनों में विद्युत सुरक्षा होगी और उसमें कीट-मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

iv. शुद्धिकरण सुविधा के साथ स्वच्छ और पीने योग्य पानी की आपूर्ति होगी।

v. अनिवार्य सेवाओं के लिए बिजली की आपूर्ति का वैकल्पिक स्रोत होगा।

2.3 सुविधाएँ

(क) प्रशासनिक और संकाय क्षेत्र निम्नलिखित आवश्यकताओं का अपेक्षाओं करेंगे:

i. प्रिंसिपल/संस्थान के प्रमुख के लिए कम से कम 8 वर्ग मीटर का अलग कमरा होगा।

ii. प्रत्येक पूर्णकालिक संकाय सदस्य के लिए कम से कम 4 वर्ग मीटर का कालीन क्षेत्र होगा।

iii. संकाय को कुर्सी, मेज और अलमारी सहित उपयुक्त फर्नीचर प्रदान किया जाएगा।

(ख) कक्षाओं के लिए निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा:

i. 20 छात्रों तक के लिए कमरे का आकार कम से कम 30 वर्ग मीटर, 24 छात्रों तक के लिए कम से कम 36 वर्ग मीटर, 40 छात्रों तक के लिए कम से कम 50 वर्ग मीटर होगा। कक्षा के कमरे का न्यूनतम आकार 30 वर्ग मीटर होगा।

ii. स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित की जाएगी।

iii. शिक्षकों के लिए ऊंचे मंच, मेज और कुर्सी की व्यवस्था की जाएगी।

iv. प्रत्येक छात्र को डेस्क और कुर्सी प्रदान की जाएगी।

v. सामान्य क्षेत्र और कक्षा के प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड लगाया जाएगा।

vi. उत्तम रोशनी, प्रकाश व्यवस्था और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था की जाएगी।

(ग) निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान की जाएगी:

i. प्रत्येक कक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर के साथ कंप्यूटर।

ii. प्रौद्योगिकी आधारित सहायक सामग्री जैसे शैक्षिक ऐप, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड

iii. लेखन सामग्री के साथ काले या सफेद या स्मार्ट बोर्ड।

iv. दृश्य-श्रव्य उपकरण, मानचित्र और पोतों के मॉडल।

v. शिक्षण प्रबंधन प्रणाली

(घ) एक समर्पित पुस्तकालय होगा और निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा:

i. पाठ्यक्रम के प्रकार के आधार पर 20-50 वर्ग मीटर का क्षेत्र।

ii. बैठने की पर्याप्त जगह, प्रकाश व्यवस्था और रोशनी व्यवस्था।

iii. पुस्तकालय पाठ्य पुस्तक, प्रकाशन और संदर्भ सामग्रियों होगा।

iv. कम से कम तीन इंटरनेट-युक्त कार्यस्थान प्रदान किए जाएंगे।

(ङ) निम्नलिखित सामान्य सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी:

i. फोटोकॉपी सुविधाएँ

ii. स्वच्छ भोजन सेवा के साथ जलपान क्षेत्र।

iii. शौचालय सुविधाएँ (प्रति 40 उम्मीदवारों पर 1, 75% मूत्रालय)

iv. इंटरनेट सुविधाएँ

v. आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए मनोरंजन कक्ष और खेल का मैदान

vi. आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए परेड ग्राउंड और सभागार

2.4. निम्नलिखित शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी:

(क) कंप्यूटर प्रशिक्षण

i. कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए समर्पित स्थान होगा।

ii. प्रति 40 उम्मीदवारों पर कम से कम 5 कार्यस्थान प्रदान किए जाएंगे।

(ख) नाव कार्य और तैराकी सुविधाएँ

i. यदि परिसर में सुविधा संभव नहीं है, तो बाहरी एजेंसियों के साथ औपचारिक करार।

ii. स्विमिंग पूल (50 फीट x 30 फीट, गहराई 3-12 फीट) या समान विनिर्देशों के साथ टाई-अप व्यवस्था।

(ग) अग्निशमन मॉक-अप

व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए स्वयं की सुविधा या टाई-अप व्यवस्था।

(घ) खानपान (आवासीय पाठ्यक्रमों के लिए अर्थात् जीपी योग्यता निर्धारण पाठ्यक्रम)

i. उचित वायु प्रवेश व्यवस्था और कीट नियंत्रण के साथ स्वच्छ रसोई।

ii. पौष्टिक और ताजा भोजन परोसा जाता है।

iii. सभी अभ्यर्थियों के बैठने के लिए भोजन कक्ष (या आधे-अभ्यर्थियों के लिए अलग भोजन समय)

iv. बर्तन और हाथ धोने के लिए धुलाई की सुविधा।

(ङ) छात्रावास और आवासीय सुविधाएं

i. कमरे

क. प्रति कमरे में अधिकतम 4 अभ्यर्थी।

ख. प्रति अभ्यर्थी न्यूनतम 4 वर्ग मीटर फर्श क्षेत्र।

ग. योग्यता निर्धारण उम्मीदवारों के लिए दो-स्तरीय बंक की व्यवस्था वायु प्रदेश व्यवस्था।

ii. विभिन्न उपयोगी सेवाएं

क. प्राकृतिक वायु प्रदेश व्यव्स्था और पर्याप्त प्रकाश और पंखे

ख. अलमारी की जगह, खाट, गद्दा और व्यक्तिगत उपयोगी सेवाएं प्रदान की जाएँगी।

iii. प्रसाधन सुविधाएँ

क. 4 उम्मीदवारों के लिए 1 वॉश बेसिन, 1 शॉवर और 1 शौचालय।

ख. 20 उम्मीदवारों के लिए 1 मूत्रालय।

ग. शौचालय सीटों के साथ पश्चिमी शैली के शौचालय।

घ. शॉवर में गर्म पानी के साथ 24 घंटे पानी की आपूर्ति।

iv. लिनन और कपड़े धोने की सुविधा

क. पाठ्यक्रम शुरू होने पर नया लिनन प्रदान किया जाएगा।

ख. प्रत्येक सप्ताह लिनन बदला जाएगा।

ग. कपड़े धोने की सेवा, इन-हाउस या आउटसोर्स, जैसी भी स्थिति हो, प्रदान की जाएगी।

घ. कपड़े इस्तरी करने की सुविधाएंप्रदान की जाएगी।

भाग 3 – मानव संसाधन

3.1 **सामान्य अपेक्षाएं**

(क) एक प्रिंसिपल/हेड को स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(ख) पाठ्यक्रमों के लिए इस अनुसूची के भाग 3.2 के अनुसार योग्य संकाय सदस्य अपेक्षित होंगे है।

(ग) प्रत्येक श्रेणी के पाठ्यक्रमों में 50% संकाय सदस्य अनिवर्चित: पूर्णकालिक होने चाहिए।

(घ) अतिथि संकाय को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा।

(ङ) स्थायी संकाय कार्य समय के दौरान उपलब्ध रहेंगे।

(च) 3 महीने या उससे अधिक के लिए नियोजित संविदा संकाय को स्थायी माना जाएगा।

(छ) उद्योग विशेषज्ञों को अतिथि संकाय के रूप में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें।

(ज) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक नामोद्दिष्ट पाठ्यक्रम प्रभारी होगा।

(झ) स्थायी संकाय द्वारा व्याख्यान या प्रशिक्षण का 50%।

(ञ) संकाय सदस्यों की शैक्षणिक क्षमताओं पर जोर दें।

(ट) संकाय के लिए उचित रोजगार अनुबंध अपेक्षित होगा।

3.2 **अर्हता और छूट**

(क) शैक्षणिक क्षमताओं पर जोर दें।

(ख) प्रिंसिपल/वाइस-प्रिंसिपल के पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए:

मास्टर (एफजी) या चीफ इंजीनियर (एमईओ श्रेणी I) के रूप में न्यूनतम सीओसी या तटरक्षक, भारतीय नौसेना या सेना के पोत के मास्टर या इंजीनियर के रूप में सेवा करने के सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसेज (सीओएस) के धारक।

(ग) संकाय सदस्य समय-समय पर आईडब्ल्यूएआई द्वारा अनिवार्य किए गए प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता पाठ्यक्रम करेंगे

(घ) अंतर्देशीय पोत (चालक दल) नियम, 2022 के अनुसार पाठ्यक्रमों के लिए उन संकाय सदस्यों को वरीयता दी जाएगी जिनके पास एम.एससी./एम.टेक/बी.टेक की उपाधि है/डोमेन विशेषज्ञ हैं।

(ङ) प्रशिक्षक को विषय वस्तु में अर्हता प्राप्त और अनुभवी होना चाहिए।

(च) संकाय सदस्यों के लिए अर्हता संबंधी न्यूनतम और विस्तृत अपेक्षाए होंगी:

i. नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी परिवहन मंत्रालय का मास्टर (विदेश जाने वाला) या मरीन इंजन-ऑफिसर (एमईओ) श्रेणी I योग्यता प्रमाण-पत्र हो, और पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय के प्रमाण पत्रित अधिकारीके रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो; जो किसी भी नौवहन महानिदेशालय अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान / आईडब्ल्यूएआई अनुमोदित संस्थानों से भावी रूप से जारी किया जाए या

ii. नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी परिवहन मंत्रालय का फर्स्ट मेट (विदेश जाने वाला) या मरीन इंजन-ऑफिसर (एमईओ) श्रेणी II सक्षमता प्रमाण-पत्र हो, और पोतों या राज्य समुद्री बोर्डों या नौवहन या पत्तन महानिदेशालय के प्रमाण पत्रित अधिकारीके रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो; जो किसी भी नौवहन महानिदेशालय अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान / आईडब्ल्यूएआई अनुमोदित संस्थानों से भावी रूप से जारी किया जाए या

iii. शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (एसएससी) और उससे ऊपर के साथ-साथ अंतर्देशीय पोत मास्टर श्रेणी I या अंतर्देशीय इंजीनियर प्रमाण-पत्र और अंतर्देशीय पोत पर प्रमाण पत्रित अधिकारीके रूप में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष मास्टर या मुख्य अभियंता की क्षमता में होंगी; या

iv. मास्टर [तटीय यात्रा पोत (एनसीवी)] या समुद्री इंजन-अधिकारी (एमईओ) श्रेणी III (तटीय यात्रा पोत-मुख्य अभियंता अधिकारी के पास) प्रमाण-पत्र, और न्यूनतम 10 वर्ष का नौकायन अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष मास्टर या मुख्य अभियंता की क्षमता में हो।

v. भारतीय नौसेना/तट रक्षक दल के कार्मिक जिन्होंने दीर्धकालिक नौचालन और दिशा (लॉन्ग एनडी) पाठ्यक्रम किया हो और कम से कम 5 वर्ष का नौकायन अनुभव हो और शिक्षा अधिकारी जिनके पास कम से कम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो।

(छ) जीपी योग्यता निर्धारण पाठ्यक्रम और बुनियादी एसटीसीडब्ल्यू सुरक्षा प्रशिक्षण और एसटीएसडीएसडी पाठ्यक्रम के लिए संकाय सदस्य के पास मास्टर-एनसीवी, या चीफ मेट (एफजी) या एमईओ श्रेणी III (सीईओ) या एमईओ श्रेणी II के रूप में न्यूनतम सीओसी धारक होना चाहिए।

3.3 **शिक्षण समय**

(क) प्रिंसिपल/वाइस प्रिंसिपल: प्रति सप्ताह अधिकतम 16 घंटे।

(ख) स्थायी संकाय सदस्य: प्रति सप्ताह अधिकतम 18 घंटे।

(ग) प्रशिक्षक: प्रति सप्ताह अधिकतम 24 घंटे।

3.4 **आयु और चिकित्सा स्वस्थता**

(क) निम्नलिखित के लिए अधिकतम आयु सीमा:

i. प्रिंसिपल या स्थायी संकाय सदस्य 70 वर्ष;

ii. आगंतुक संकाय सदस्य 72 वर्ष है;

iii. प्रशिक्षक 65 वर्ष है।

(ख) स्टाफ चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए और स्पष्ट संचार करने में सक्षम होना चाहिए।

3.5 **संकाय सदस्य के लिए भार मैट्रिक्स/विवरण**

(क) संस्थान की वेबसाइट और केंद्रीकृत वेब पोर्टल पर स्टाफ का विवरण हमेशा अद्यतन रखना।

(ख) जब भी प्रिंसिपल, संकाय और प्रशिक्षक में बदलाव होता है, तो आईवीएनटीआई को नए सिरे से पूरा संकाय भार मैट्रिक्स अपलोड करना होगा। यदि कोई बदलाव नहीं होता है, तो पूरा संकाय भार मैट्रिक्स हर छह महीने में अपलोड किया जाना होगा।

भाग 4 – प्रशासनिक आपेक्षा

4.1 **विज्ञापन/ब्रोशर/प्रॉस्पेक्टस और वेबसाइट**

(क) आईवीएनटीआई का प्रचार करने वाले विज्ञापनों में पूर्ण प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित होगा।

(ख) विज्ञापन या ब्रोशर या प्रॉस्पेक्टस में ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए।

(ग) कोई भ्रामक दावा नहीं किया जाना चाहिए।

4.2 **प्रवेश मानक**

(क) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक किसी भी भारतीय नागरिक को अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022 के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(ख) किसी अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुक किसी भी विदेशी नागरिक को अपेक्षित समकक्ष अर्हताएं पूरी करनी होंगी।

4.3 **दस्तावेजों का सत्यापन**

(क) प्रवेश से पहले मूल दस्तावेजों की जाँच करें।

(ख) पाठ्यक्रम पूरा होने पर मूल प्रमाण-पत्र जारी करें।

4.4 **पाठ्यक्रम शुल्क**

(क) अलग-अलग संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क तय किए जाएँगे।

(ख) अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक समान शुल्क संरचना निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग शुल्क संरचना निर्धारित की जाए, जो एकसमान शुल्क संरचना से कम हो।

(ग) आईवीएनटीआई, अभ्यर्थी को शुल्क के लिए उचित रसीद देगा। आईवीएनटीआई नकद में कोई शुल्क नहीं लेगा।

4.5 **व्यावहारिक प्रशिक्षण**

(क) सभी व्यावहारिक प्रशिक्षणों की अनिवार्य रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।

4.6 **बैच विवरण**

(क) निर्धारित समय के भीतर संस्थान की वेबसाइट और केंद्रीकृत वेब पोर्टल पर बैच विवरण अपलोड करें।

4.7 **बायोमेट्रिक उपस्थिति**

(क) 6 दिनों से कम अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति 100% और अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए 80% होगी।

(ख) सभी कर्मचारियों और अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4.8 **पाठ्यक्रम का संचालन**

(क) आईडब्ल्यूएआई द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम संबंधी दिशानिर्देशों और पाठ्य विवरण का पालन करें और समय-समय पर सामग्री को अद्यतन करें।

(ख) मासिक समय सारिणी आईवीएनटीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(ग) पाठ्यक्रम केवल दिन के समय ही संचालित किए जाएँगे।

(घ) किसी आंशिक पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति नहीं है, अर्थात पाठ्यक्रम संचालन करने में उसकी समग्र सामग्री कवर में जानी चाहिए।

(ङ) कुछ कार्यालय पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग बैचों की अनुमति दी जा सकती है।

(च) प्रत्येक वर्ष बैच नंबरिंग प्रणाली 001 से शुरू होगी।

(छ) वर्ष को कैलेंडर वर्ष के रूप में माना जाएगा।

4.9 **मूल्यांकन और निगरानी**

(क) आईवीएनटीआई निरंतर मूल्यांकन प्रणाली को लागू करेंगे।

4.10 **अंतिम परीक्षा**

(क) अंतिम परीक्षाएँ अंतर्देशीय जलयान (चालक दल) नियम, 2022/ आईडब्ल्यूएआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित करें।

(ख) असफल अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा।

4.11 **प्रमाण-पत्र जारी करना**

(क) पाठ्यक्रम पूरा करने के प्रमाण-पत्र का मसौदा वह होगा जैसा आईडब्ल्यूएआई द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(ख) सभी प्रमाण पत्रों पर आईवीएनटीआई नंबर अंत: स्थापित करें।

(ग) प्रणाली से तैयार प्रमाण-पत्र संख्याओं का उपयोग करें।

(घ) प्रमाण-पत्र पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने।

4.12 **वर्दी और पहचान पत्र**

(क) परिसर में संकाय सदस्यों और अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य है।

(ख) सभी कर्मचारियों, संकाय सदस्यों और अभ्यर्थियों के पास लेमिनेटेड फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।

4.14 **मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम**

(क) प्रत्येक आईवीएनटीआई मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम शुरू करने की सूचना प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी अन्य मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम चलाने के कारण सांविधिक पाठ्यक्रमों से समझौता नहीं किया जाएगा।

(ख) मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम के लिए अस्वीकरण दिया जाएगा जिसमें इस आशय का उल्लेख होगा कि वे गैर-सांविधिक हैं।

4.15 **फीडबैक तंत्र**

(क) अनिवार्य फीडबैक तंत्र लागू करें और पाठ्यक्रम पूरा होने पर अभ्यर्थियों से फीडबैक प्राप्त करें।

4.16 **रैगिंग पर प्रतिबंध**

(क) रैगिंग को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू करें।

(ख) सभी मामलों की रिपोर्ट अनुमोदन प्राधिकारी को दें।

4.17. **शिपबोर्ड प्रशिक्षण के लिए छात्रों का प्लेसमेंट**

प्रत्येक आईवीएनटीआई में एक प्लेसमेंट सेल होगा जो अंतर्देशीय पोतों पर प्लेसमेंट प्रदान करने का प्रयास करेगा।

4.18 **रिकॉर्ड**

निम्नलिखित रिकॉर्ड को 5 वर्षों तक बनाए रखें जिन्हें सत्यापन के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा:

क) इस अनुसूची के तहत दी गई अंतिम रूप से स्वीकृति

ख) स्वामित्व या वैध लीज डीड विलेख का प्रमाण

ग) स्विमिंग पूल और अन्य ऐसी सुविधाओं, यदि कोई हो के लिए टाई-अप या कोई अन्य करार समझौता

घ) प्रवेश रिकॉर्ड

ङ) व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा विवरण/प्रकार अनुमोदन आदि जैसे कि फायर मॉक अप, स्विमिंग पूल, जल निकाय, प्रकार अनुमोदन, लोड परीक्षण आदि से संबंधित दस्तावेज।

च) अंतिम व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट, औचक निरीक्षण रिपोर्ट, गुणवत्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट

छ) प्रकाशित विज्ञापन और ब्रोशर

ज) पूर्ण संकाय लोड मैट्रिक्स

झ) कक्षा के पूर्ण उपयोग का चार्ट

ञ) अभ्यर्थियों के प्लेसमेंट का रिकॉर्ड

ट) संबंधित अभ्यर्थी द्वारा आवेदन और सभी सहायक दस्तावेजों की विधिवत हस्ताक्षरित सत्यापित फोटोकॉपी।

ठ) अभ्यर्थी से ली जाने वाली फीस का रिकॉर्ड

ड) प्रिंसिपल, स्थायी संकाय, आगंतुक संकाय, प्रशिक्षकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट और

ढ़) उत्तर-पुस्तिकाएँ और उसके बाद कम से कम बारह माह के अन्य मूल्यांकन रिकॉर्ड। इसके अलावा, अनुमोदित या अधिकृत एजेंसी, दिए गए प्रशिक्षण की सामान्य गुणवत्ता का आकलन करने के लिए औचक/वार्षिक निरीक्षण के दौरान कुछ अभ्यर्थियों से प्रश्न भी पूछ सकती है।

ण) संकाय/प्रशिक्षक प्रशिक्षण और संकाय/प्रशिक्षक मूल्यांकन के रिकॉर्ड।

त) आगंतुक संकाय द्वारा लिखित घोषणा का रिकॉर्ड जिसमें यह उल्लेख हो कि वह उन्होंने एक सप्ताह में 18 घंटे से अधिक व्याख्यान नहीं दिया है।

थ) प्रिंसिपल, संकाय सदस्यों और 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रशिक्षकों की वार्षिक चिकित्सा स्वस्थता का रिकॉर्ड

द) रैगिंग के सभी मामलों का रिकॉर्ड, चाहे वे कितने भी छोटे मामले क्यों न हों और संस्थान द्वारा उन पर की गई कार्रवाई

ध) उम्मीदवारों और हितधारकों से कागज/इलेक्ट्रॉनिक रूप में फीडबैक डेटा

भाग 5 - निरीक्षण और अनुशासनात्मक कार्रवाई

क) निरीक्षण

i. फील्ड विजिटिंग कमेटी प्रत्येक दो वर्ष में निरीक्षण कर सकती है और अनुमोदन प्राधिकारी की अनुमति से औचक निरीक्षण भी कर सकती है।

ii. निरीक्षण इस अनुसूची के भाग 4 में निर्दिष्ट प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुपालन को सत्यापित करेगा।

iii. निरीक्षण रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर संस्थानों को कमियों और सुधार समय-सीमा बताते हुए भेजी जाएगी।

ख) व्यापक निरीक्षण कार्यक्रम (सीआईपी)

i. आईवीएनटीआई का पांच वर्ष के अंतराल पर सीआईपी निरीक्षण किया जाएगा ।

ii. अनुमोदन प्राधिकारी, संस्थान को ग्रेडिंग प्रदान करेगा (जांच सूची के अनुसार संस्थान द्वारा प्राप्त क्रेडिट-पॉइंट के आधार पर), जो पाठ्यक्रमों के लिए संस्थान की समग्र ग्रेडिंग को दर्शाएगा है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1:ग्रेडिंग पैमाना

क्र. सं.	क्रेडिट % में अंक	प्वांइट	ग्रेड टिप्पणियाँ
1	80% और उससे अधिक	क1	उत्कृष्ट
2.	70-79.9%	क2	बहुत अच्छा
3.	60-69.9%	ख1	अच्छा
4.	50-59.9%	ख 2	औसत
5.	40-49.9%	ग1	औसत से नीचे
6.	40% से कम	ग 2	खराब

iii. ग्रेडिंग, सीआईपी के किए जाने की तिथि से पांच वर्ष के लिए वैध होगी, जब तक कि संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा रद्द न कर दिया जाए। हालांकि, अनुमोदन प्राधिकारी द्विवार्षिक निरीक्षणों के दौरान या संस्थान के अनुरोध पर अतिरिक्त निरीक्षणों के आधार पर ग्रेडिंग को फिर से करने के लिए कह सकता है।

ग) ग्रेडिंग के लिए कार्यप्रणाली ऐसी होगी, जैसा आईडब्ल्यूएआई द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

घ) **निरीक्षण के लिए बाहरी सहायता**

i. अनुमोदन प्राधिकारी निरीक्षण में सहायता के लिए बाहरी सदस्यों को पैन में रख सकता है।

ii. बाहरी निरीक्षकों को निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा:

क. 72 वर्ष से अधिक आयु न हो

ख. मास्टर (एफजी) या एमईओ श्रेणी-I के रूप में सीओसी धारक

ग. आईएसओ लीड ऑडिटर पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ हो

ङ) अंतिम रूप से दिए एग अनुमोदन का निलंबन और रद्दीकरण

i. अनुमोदन प्राधिकारी, आईवीएनटीआई को रूप से दिए गए अंतिम अनुमोदन को निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि:

क. उसके पास यह मानने का कारण हो कि ऐसे संस्थान ने इस अनुसूची के तहत किए गए किसी निरीक्षण या अन्यथा के परिणामस्वरूप इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी मानक का उल्लंघन किया है; या

ख. सीआईपी के किए जाने के बाद आईवीएनटीआई को दी गई ग्रेडिंग औसत से कम या खराब है।

ii. अनुमोदन प्राधिकारी, आईवीएनटीआई के मालिक को सुनवाई का अवसर देने के बाद आईवीएनटीआई को निलंबन का नोटिस जारी करेगा, जिसमें सुधार की जाने वाली त्रुटियों और उन शर्तो का उल्लेख होगा, जिनका आईवीएनटीआई द्वारा अनुपालन किया जाना है, साथ ही वह समय अवधि भी बताई जाएगी जिसके भीतर ऐसे नोटिस के जारी होने की तिथि से सुधार किए जा सकते हैं।

लेकिन आईवीएनटीआई द्वारा इस अनुसूची से किसी बड़ी कमी या बड़े विचलन के मामले में अनुमोदन प्राधिकारी तत्काल निलंबन का नोटिस जारी कर सकता है।

iii. निलंबन का नोटिस जारी करने के बाद, आईवीएनटीआई तब तक किसी नए छात्र को प्रवेश नहीं देगा, जब तक निलंबन के नोटिस में निर्दिष्ट त्रुटियों और शर्तों का आईवीएनटीआई द्वारा ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है।

iv. आईवीएनटीआई द्वारा निलंबन के नोटिस का ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन न किए जाने की स्थिति में, अनुमोदन प्राधिकारी आईवीएनटीआई के मालिक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, अनुपालन न किए को दर्ज करते हुए अंतिम रूप से अनुमोदन को रद्द करने का आदेश जारी कर सकता है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

v. आपातकालीन स्थिति में, अनुमोदन प्राधिकारी कमियों को दूर करने के लिए निरीक्षण या रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य सामग्री के आधार पर किसी भी संस्थान को निर्देश जारी कर सकता है।

vi. अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा आईवीएनटीआई के अंतिम रूप से अनुमोदन रद्द किए जाने के पश्चात वह कोई भी कार्य नहीं करेगा।

च) अनुमोदनों का प्रदर्शन

अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अनुमोदनों को प्रशिक्षण संस्थान और इसकी वेबसाइट, यदि कोई हो, में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

छ) पाठ्यक्रमों का बंद करना /संस्थान का बंद होना

i. प्रत्येक आईवीएनटीआई किसी विशेष पाठ्यक्रम को बंद करने या संस्थान को बंद करने से पहले अनुमोदन प्राधिकारी को ऐसे बंद करने से तीन महीने पहले सूचना देगा।

लेकिन पांच बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रमों के समग्र पैकेज से अलग-अलग बुनियादी सुरक्षा और संरक्षा पाठ्यक्रम बंद नहीं किए जाएंगे।

ii. मौजूदा बैचों के लिए पाठ्यक्रम उनके पूरा होने तक जारी रहेंगे और पाठ्यक्रम के बंद होने या संस्थान के रोके जाने से किसी मौजूदा बैच पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 1आवेदक के नाम से संबंधित क्रम संख्या 1 के समक्ष, में, "भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पैनल में शामिल एमबीबीएस चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "एमबीबीएस डॉक्टर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

20. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या 2 में, "नियम 13(1) देखें" शब्दों के स्थान पर "नियम 18(3) देखें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

21. उक्त नियमों के प्ररूप संख्या 3 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"प्ररूप नं. 4

………….. सरकार

सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी)

आई.वी. अधिनियम 2021 के तहत एक किसी अंतर्देशीय जलयान के

मास्टर प्रथम श्रेणी / मास्टर द्वितीय श्रेणी / मास्टर तृतीय श्रेणी (सेरंग)

सीओसी नं. …………………

जारीकर्ता प्राधिकारी का पता

जारीकर्ता प्राधिकारी का संपर्क नं.:……

सेवा में,

………………………………………………………… जबकि अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021 की धारा 36 के तहत नियुक्त परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के मूल्यांकन पर, आपको यंत्रवत् चालित अंतर्देशीय पोत पर मास्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी की सेवा करने के लिए विधिवत योग्य पाया गया है, मैं, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 38 के अनुसरण में, आपको अंतर्देशीय जलयान के मास्टर प्रथम श्रेणी/मास्टर द्वितीय श्रेणी/मास्टर तृतीय श्रेणी (सेरंग) के रूप में यह सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करता/ करती हूँ।

यह दिनांक ……../…..…../…………..... को जारी किया गया

……../…………/……………. तक वैध

यह सीओसी पूरे भारत में मान्य है। अतिरिक्त सक्षमता का अनुपालन पृष्ठ 9/10 पर पृष्ठांकित किया जाना है।

हस्ताक्षर और मुहर हस्ताक्षर और मुहर

(जांच प्राधिकारी) (जारी करने वाला प्राधिकारी)

02

जन्म तिथि: ……..../……..…/…………….

जन्म स्थान: ……………………………………….…………..

पता: ……………………………………………………..……

……………………………………………………..……

……………………………………………………………..

परीक्षा उत्तीर्ण: ……………… को ……..……….. : ……………….……

अभ्यर्थी का फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पूर्व सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी) का विवरण

सीओसी संख्या: ..…………………… ग्रेड: …………….……….

जारी करने की तिथि: ……………/…..………../……..…………..

दिनांक: …………….………..… को …………………………..… पर सुपुर्द किया गया

विधिवत प्राधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

04

प्रतिबंध (यदि कोई हो)

अनुमोदन (विशेष पोत)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नौचालन क्षेत्र के लिए विशिष्ट अतिरिक्त सक्षमता

नोट:

1. अंतर्देशीय पोत का कोई भी द्वितीय श्रेणी मास्टर उस प्रमाण-पत्र को नहीं सौंपता है, जिसे रद्द या निलंबित किया गया है, उसे अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 40 और धारा 79 के तहत दंड दिया जा सकेगा।

2. इस प्रमाण-पत्र के धारक को छोड़कर कोई भी व्यक्ति से जिसे यह प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उसे इसे जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत सूचित करना अपेक्षित है।

प्ररूप नं. 5

…….. सरकार

सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी)

आई.वी. अधिनियम 2021 के तहत एक अंतर्देशीय पोत का

इंजन चालक प्रथम श्रेणी / इंजन चालक द्वितीय श्रेणी / अंतर्देशीय पोत इंजीनियर

सीओसी नं. ……

जारीकर्ता प्राधिकारी का पता

जारीकर्ता प्राधिकारी का संपर्क नं.: ……

सीओसी नं. …….

सेवा में,

…….जबकि

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 की धारा 36 के तहत नियुक्त परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के मूल्यांकन पर, आपको यंत्रवत् चालित अंतर्देशीय पोत पर इंजन चालक प्रथम श्रेणी / इंजन चालक द्वितीय श्रेणी / अंतर्देशीय पोत इंजीनियर के रूप में सेवा करने के लिए विधिवत योग्य पाया गया है, मैं उक्त अधिनियम की धारा 37 के अनुसरण में, आपको एक अंतर्देशीय पोत के इंजन चालक प्रथम श्रेणी / इंजन चालक द्वितीय श्रेणी / अंतर्देशीय पोत इंजीनियर के रूप में यह सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान करता/ करती हूँ।

दिनांक ……../……../…….. को जारी किया गया

यह सीओसी संपूर्ण भारत में मान्य है।

हस्ताक्षर और मुहर	हस्ताक्षर और मुहर
(जांच प्राधिकारी)	(जारी करने वाला प्राधिकारी)

जन्म तिथि: ……..../……..…./…………….

जन्म स्थान: ………………………………………..………..

पता: ………………………………………………………..…….

………………………………………………………..…….

……………………………………………………………..

परीक्षा: …………………… को ……………..…….. उत्तीर्ण की गई

सीओसी संख्या: ……………….……

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पूर्व सक्षमता प्रमाण-पत्र (सीओसी/सीओएस) का विवरण

सीओसी संख्या: ..……………..…… ग्रेड: …………….…………

जारी करने की तिथि: …………/…..………../…….……………...

दिनांक: …………………..… को ……………………..… पर सुपुर्द किया गया

विधिवत अधिकृत अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

सीमाएँ (यदि कोई हो)

अनुमोदन (विशेष पोत)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नोट:

1. कोई भी अंतर्देशीय पोत का प्रथम श्रेणी इंजन चालक उस प्रमाण-पत्र को नहीं सौंपता है जिसे रद्द या निलंबित किया गया है, उसे अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 87(2) के तहत दंड दिया जा सकेगा।
2. इस प्रमाण-पत्र के धारक को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, जिसे यह प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है, उसे इसे जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत सूचित करना अपेक्षित है।"

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021आईडब्ल्यूटी(4)]

डॉ. कमला कान्ता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2025

G.S.R. 158(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34, section 35, sub-section (1) of section 36, sub-section (3) of section 37, sub-sections (1) and (4) of section 38, section 39, sub-section (2) of section 41 read with clauses (z) to (zg) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), the Central Government proposes to amend the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 notified by the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways vide number G.S.R. 422(E) dated the 7th June, 2022 and hereby publish as required by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021) for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Deputy Secretary (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 536, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at dsiwt-psw@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

Draft Amendment

1. (1) These rules may be called as the draft Inland Vessel (Manning) (First Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), after clause (a) of sub-rule (1) of rule 2 the said rules, the following clauses shall be inserted namely. –

"(aa) "approved training institute" means training institutes approved under Rule 21;

(ab) "basic safety and security courses" means the following five courses whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India:

(i) Elementary First Aid;

(ii) Proficiency in survival techniques;

(iii) Personal safety and social responsibility;

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting; and

(v) Security Training for Seafarers with Designated Security Duties;

(ac) "conversion course to general purpose rating" such course whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Competent Authority;

(ad) "preparatory course" means the course for various grades on the deck and engine side, whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India;

(ae) "refresher and revalidation course" means the course for various grades on the deck department and engine department, whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India;

(af) "Schedule" means the schedule annexed to these rules containing the standards of approval of training institutes."

3. In sub-rule (3) of rule 4 of the said rules, in the table:

i. In Category A. -

a. in row no. 2, for the figure "500" occurring at both places, the figure "300" shall be substituted;

b. in row no. 2, for the figure "1600" occurring at both places, the figure "1000" shall be substituted;

c. in row no. 3, in column GT<500, for the words "Master Class 3/Serang", the words "Master Class 2" shall be substituted;

d. in row no. 6, in column kW ≥ 750 propulsion power, in clause (a), after the words "One chief engineer with Inland Engineer certificate", the words "or one chief engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate with 2 years of experience as Engine Driver Class 1 on vessel with ≥ 750 kW." shall be inserted;

e. in row no. 8, for the figure "500" occurring at both places, the figure "300" shall be substituted; the words "and KW" shall be substituted with "or KW"

ii. In Category B, -

a. in row no. 12, for the figure "500" occurring at both places, the figure "300" shall be substituted;

b. in row no. 12, for the figure "1600", the figure "1000" shall be substituted;

iii. For Note 1 in the table, for the words "2 years of coming into force of the Rules", the words "5 years from the date of coming into force of these Rules." shall be substituted.

iv. After Note 2, the following notes shall be inserted, namely. –

"**Note 3**: In addition to the manning for deck side and engine side prescribed for vessels more than 1000 GT, vessels of more than 3000 GT shall have on board a Master Foreign Going or Master Near Coastal Voyage Vessel (NCV) and a Mate Foreign Going or Mate Near Coastal Voyage Vessel (NCV) and a Marine Engine Officer (MEO) Near Coastal Voyage Vessel (NCV) Class II.

Note 4: The Designated Authority may specify manning lower than that prescribed in sub-rule (3), if in cases of shortage of crew."

4. In rule 5 of the said rules:

i. For sub-rule (5), the following shall be substituted. –

(a) Possesses a Ministry of Transport Master (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Directorate General of Shipping with minimum 8 years' experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Director General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(b) Possesses a Ministry of Transport First Mate (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Directorate General of Shipping with minimum 10 years experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or

(c) Possesses academic qualification of Secondary School Certificate (SSC) and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 20 years of service onboard in inland vessels or State Maritime Boards or State Inland Waterways Authority Inland Water Transport Directorate or Directorate General of Shipping or Ports or equivalent as Certificated Officer of which at least 5 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer on ships or State Maritime Boards or Director General of Shipping or Ports; or

(d) Possesses a Master [Near Coastal Voyage Vessel (NCV)] or Marine Engineer Officer (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel-Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 20 years of sailing experience of which at least 5 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate; or

(e) Possesses qualifications as in (a), (b), (c) or (d) above and in case of any chief examiner appointed after the notification of these rules -

(i) experience as a faculty or examiner in any approved training institute or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department; and

(ii) has undergone Trainer and Assessor Course for Inland Vessels as may specified by the Inland Waterways Authority of India at any approved training institute.

Provided that the Designated Authority may exempt Master Foreign Going Master or Marine Engineer Officer Class I chief examiners from the requirement of this course."

Explanation. – The tenure of experience as faculty or examiner may be counted towards shipboard or inland vessel experience required under clauses (a), (b), (c) and (d) of this sub-rule.

ii. In sub-rule (7):

(a) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely. –

"(a) Possesses a Ministry of Transport Master (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Directorate General of Shipping with minimum 5 years experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or"

(b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely. –

"(b) Possesses a Ministry of Transport First Mate (Foreign Going) or Marine Engineer Officer (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 7 years experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; or"

(c) in clause (c), after the words "years of service onboard inland vessels", the words "or State Maritime Boards or State Inland Waterways Authority or Directorate General of Shipping or Ports or Inland Water Transport Directorate or equivalent" shall be inserted;

(d) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely. –

"(d) Possesses a Master [Near Coastal Voyage Vessel (NCV)] or Marine Engineer Officer (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel -Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 15 years of sailing experience of which at least 5 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports or State Inland Waterways Authority or Inland Water Transport Directorate or equivalent; and"

(e) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely. –

"(e) Possesses qualifications as in (a), (b), (c) or (d) above and in case of any examiner appointed after the notification of these rules:

(i) experience as a faculty or examiner in any approved training institute or Directorate General of Shipping or Mercantile Marine Department and

(ii) has undergone Trainer and Assessor Course for Inland Vessels at any approved training institute.

Provided that the Designated Authority may exempt Master Foreign Going Master or Marine Engineer Officer Class I examiners from the requirement of this course."

5. In rule 6 of the said rules:

i. for sub-rule 1, the following sub-rule shall be substituted, namely. -

"(1) No candidate shall be granted a Certificate of Competency in Form no. 4 and Form No. 5, of these rules unless he secures minimum 50% marks";

ii. in sub-rule (2), for the words "Competent Authority", the words "the Inland Waterways Authority of India" shall be substituted;

iii. after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely. –

"(5) All holders of Certificate of Competency in sub-rule (2) shall be required to undergo refresher course after five years from the date of issuance of certificate of competency and thereafter at interval of every five years, at any approved training institute."

6. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (1):

i. in clause (b), for the figure "500", the figure "300" shall be substituted;

ii. in clause (c), for the words "an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer", the words "MBBS doctor" shall be substituted.

iii. for clause (d), the following clause shall be substituted, namely. –

iv. "have successfully attended preparatory course for Master Class 1 at any approved training institute."

v. for clause (e), the following clause shall be substituted, namely. –

"(e) have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping."

7. In sub-rule (1) of rule 9 of the said rules:

i. in clause (c), for the words "an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer", the words "MBBS doctor" shall be substituted.

ii. for clause (d), the following clause shall be substituted, namely. –

"(d) have successfully attended preparatory course for Master Class 2 at any approved training institute."

iii. for clause (e), the following clause shall be substituted, namely. –

"(e) have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping."

8. In rule 10 of the said rules, -

i. in clause (c) of sub-rule (1), for the words "an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer", the words "MBBS doctor" shall be substituted.

ii. for clause (d) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely.–

"(d) have successfully attended approved preparatory course for Master Class 3 or Serang at any approved training institute."

iii. for clause (e) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely.–

"(e) have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping."

iv. in sub-rule (3), for the figure and words "2 years time to undergo new training program.", the figure and words "5 years from the date of coming into force of these rules to undergo new training program." shall be substituted.

9. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (1), -

i. in clause (a), after the words "Central or State Government", the words "or has completed conversion course for general purpose rating at any training institute." shall be inserted;

ii. in clause (c). –

(a) in sub-clause (i), for the figure "500", the figure "300" shall be substituted;

(b) in sub-clause (iii), for the figure "15", the figure "10" shall be substituted;

iii. in clause (d), after the words "or an Assistant Master (deck) or Seacunny", the words "or boat master or equivalent," shall be inserted;

iv. after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely. –

"(e) have successfully attended preparatory course at any approved training institute; and

(f) have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping."

10. In rule 12 of the said rules:

i. in sub-rule (1). –

(a) in sub-clause (ii), for the words "General Purpose Rating Course at similar training establishment approved by the State", the words "any approved training institute" shall be substituted;

(b) in sub-clause (iii), after the words "or as Seacunny", the word "or equivalent" shall be inserted.

ii. sub-rule (2) shall be renumbered as sub-rule (3) and before sub-rule (3) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(2) In addition to the requirements in sub-rule (1) every new entrant through rating route, including existing Lascars or Deck Hands or General Purpose Rating shall be:

(a) be a Citizen of India;

(b) not less than twenty one years of age;

(c) medically fit and produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an MBBS doctor;

(d) have successfully attended preparatory course for Master Class 3 or Serang at any approved training institute along with minimum service of 36 Months on inland vessels; and

(e) have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping."

11. In rule 13 of the said rules:

i. for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely. –

"**Minimum requirements for certification of Master Class 3 or Serang or Engine Driver Class 2 of an inland vessel for new entrants through cadet training route**. –

(1) For the purposes of certification of every new entrants through cadet training route, shall -

(a) be a citizen of India;

(b) not be less than twenty-one years of age;

(c) be medically fit and produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an MBBS doctor;

(d) possess any of the following educational qualifications:

(i) candidates who have passed class 12th class examination from board recognised by the Central or the State Government; or

(ii) candidates who have passed class 10th examination from board recognised by the Central or the State Government and who have successfully completed a vocational or skill training course from an Industrial Training Institute; or

(iii) candidates who have passed class 10th examination from board recognised by the Central or the State Government and who have successfully completed Polytechnic Diploma in Mechanical or Electrical Engineering approved by All India Council for Technical Education.

(e) have successfully completed inland vessel cadets training course, whose syllabus and duration shall be such as may be specified by the Inland Waterways Authority of India, from any approved training institute.;

(f) have successfully completed five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or at an institute approved by the Directorate General of Shipping; and

(g) have served on Inland vessels or sea going vessels either for:

(i) two years, in case the candidate possesses the educational qualification under sub-clause (i) of clause (d) of this sub-rule; or

(ii) 18 months, in case the candidate possesses the educational qualification under sub-clause (ii) of clause (d) of this sub-rule; or

(iii) 12 months, in case the candidate possesses the educational qualification under sub-clause (iii) of clause (d) of this sub-rule.

Provided the total service has been performed as Inland Vessel cadet apprentice with onboard vessel Structured Training Program verified in record book and should have performed at least six months watch keeping service under qualified Master Class 1 or Class 2 or Class 3 Serang or Engine Driver Class 1 or Engine Driver Class 2 on board the vessel plying in the port or Inland vessels of the State."

ii. Sub-rule (3) shall be omitted.

12. In rule 15 of the said rules:

i. in sub-rule (1), -

(a) in clause (a), for the words "Competency Service issued under the Act along with academic qualification or", the words "Certificate of Competency issued under the Act along with academic qualification of" shall be substituted;

(b) in clause (b), for the figure and unit of measurement "750 kW", the figure and unit of measurement "425kW" shall be substituted;

(c) in clause (c), for the words "an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer", the words "MBBS doctor" shall be substituted;

(d) in clause (d), for the words "shall have successfully attended approved Preparatory Course for Inland Vessel Engineer, which shall be an approved course by the Inland Waterways Authority of India", the words "shall have successfully attended Preparatory Course for Inland Vessel Engineer at any approved training institute" shall be substituted;

(e) for clause (e), the following clause shall be substituted. –

"have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping."

ii. sub-rule (2) shall be omitted.

13. In rule 16 of the said rules:

i. In sub-rule (1), in clause (c), for the words "an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer", the words "MBBS doctor" shall be substituted.;

ii. In sub-rule (1), for clause (d), the following clause shall be substituted. –

"have successfully attended approved preparatory course for Engine Driver Class1 at any approved training institute."

iii. in sub-rule (1), for clause (e), the following clause shall be substituted. –

"have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping."

iv. sub-rule (2) shall be omitted.

14. For rule 17 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely. –

"17. **Minimum requirements for certification of Engine Driver Class 2 of an inland vessel**. —

(a) be a citizen of India

(b) age should not be less than 21 years;

(c) shall produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 1 appended to these rules from an MBBS doctor;

(d) shall have completed preparatory course of 1 month duration from an approved training institute and possess a valid Course Completion Certificate;

(e) shall have minimum service of 36 Months on Inland Vessels as General Purpose Rating; and

(f) existing Engine Driver Class 2 serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as Engine Driver Class 2 and given maximum of 5 years from the date of coming into force of IV Manning Rules, 2022 to undergo new training program;."

15. After sub-rule (2) of rule 18, the following sub-rule shall be inserted, namely. –

"(3) A certificate of service shall be issued in Form No. 2 appended to these rules and shall have the same effect as a certificate of competency granted under these rules."

16. In rule 19 of the said rules:

i. in clause (d) of sub-rule (1), for the words "an Inland Waterways Authority of India or Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner or medical officer", the words "MBBS doctor" shall be substituted.

ii. for clause (e) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely.–

"(e) if new entrant, shall have completed induction training for General Purpose Ratings at any approved training institute";

iii. in proviso to clause (f) of sub-rule (1), for the words, "and such Conversion Course shall be approved course by the Competent Authority", the words "at any approved training institute" shall be substituted;

iv. for clause (g) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely.–

"(g) have completed the five basic safety and security courses for inland vessels at any approved training institute or an institute approved by the Directorate General of Shipping.";

v. sub-rule (2) shall be omitted;

vi. sub-rule (3) shall be renumbered as sub-rule (2), and in sub-rule (2) so renumbered, for the figure and words "minimum 2 years time", the figure and words "maximum 5 years from the date of coming into force of these rules" shall be substituted.

17. After rule 20 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely. –

"21. **Approval of Training Institutes**. – For the purposes of these rules, training institutes shall be approved by:

i. the concerned State Government, for institutes within their jurisdiction, in accordance with the Schedule; and

ii. Inland Waterways Authority of India for the following institutes, in accordance with the Schedule:

(a) institutes established by the Central Government or Inland Waterways Authority of India; or

(b) institutes within the jurisdiction of any State Government, if a request is made by the State Government.

22. **Issuance of Seaman's Identification Record Book**. – (1) No person shall be employed on a mechanically propelled inland vessel registered under this Act, without obtaining the Seaman's Identification Record Book which shall include the INDVIC Number.

(2) Every new entrant or an existing General Purpose Rating before the completion of the course under induction training for General Purpose Ratings or conversion course, as the case may be shall make an online application through the portal to the Designated Authority of the State in which the approved training institute is situated for issuance of Seaman's Identification Record Book.

(3) Every existing certificate of competency holder, within 5 years from the date of coming into force of these rules, shall make an online application through the portal for issuance of the Seaman's Identification Record Book to the Designated Authority of the State, in which the Certificate of Competency had been issued.

(4) The Designated Authority shall maintain a register of the Seaman's Identification and Record Books issued through the portal.

(5) The Designated Authority shall update the details of the training courses completed from approved training institutes, and the details of services done by each member of the crew onboard the vessels registered under this Act."

18. After the said rules, the following Schedule shall be inserted, namely. –

"SCHEDULE-1

Standards for Approval of Inland Vessel Navigation Training Institutes / Centers by State Governments and Inland Waterways Authority of India

Part 1 - Approval of Inland Vessel Navigation Training Institutes

1.1 **Compliance with this Schedule**

a) From the date of notification of the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022, Inland Vessel Navigation Training Institutes ("IVNTI") shall be approved by the State Government or IWAI ("Approving Authority"), in accordance with Clause 21 of Inland Vessels (Manning) Rules 2022.

b) Existing IVNTIs established by State Governments or Central Government or IWAI shall aim to comply with the requirements of this Schedule by 31st December, 2025, subject to any exemptions which may be granted by the Approving Authority.

c) All courses for inland vessels may be completed by a new entrant at any IVNTI approved in accordance with the standards and procedure under this Schedule or an institute approved by the Directorate General of Shipping, subject to meeting the standards specified in this schedule. In case of institutes approved by DG Shipping, all the requirements & procedures for approval / inspection / cancellation etc shall be carried out by DG Shipping as per their procedures.

1.2 **Eligible Entities**

a) Every IVNTI shall be established and administered by any of the following persons:

i. An individual; or

ii. HUF; or

iii. Society registered under Societies Registration Act, 1860, as amended from time to time or any other relevant Acts; or

iv. Trust registered under Indian Trust Act, 1882 or any public charitable trust registered under applicable State Trust legislation, as amended from time to time or any other relevant Acts through the Chairman/President/Secretary of the Trust; or

v. Company established under Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013; or

vi. Central or State Government or UT Administration or by a Society or a Trust registered by them; or

vii. Limited Liability Partnership within the meaning of Limited Liability Partnership Act, 2008; or

viii. Partnership firm within the meaning of Indian Partnership Act, 1932; or

ix. An association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not; or

x. any other artificial juridical person, not falling within any of the above.

1.3 **Application & Approval process of the Institute**

(a) The approval of the application shall be in two phases:

i. In-principle approval; and

ii. Final approval

(b) Every application for grant of in-principle approval and final approval shall be submitted through the portal along with the processing fees.

(c) The processing fee for seeking in-principle approval, final approval and approval for shifting of premise shall be specified by the Approving Authority.

(d) The application for grant of in-principle approval shall contain the following particulars:

i. Details of land or premises where the institute is proposed to be established along with proof of ownership or lease or the proposed agreement to sell from the owner of the land/premises or proposed agreement to lease along with a no-objection certificate from the owner.

ii. Details of the proposed infrastructure in accordance with Part 2 of this Schedule.

iii. Proposed name of the IVNTI which shall be also be approved by the Approving Authority.

Provided the usage of words including "Government", "India", "National", “State” shall be prohibited in accordance with Emblems and Name (Prevention of Improper use) Act, 1950.

iv. Every IVNTI shall be required to have a unique name.

v. Proposed source of funding of IVNTI for initial capital expenditure and recurring expenditure

vi. Business Plan and Project Feasibility Report which shall include:

A. the proposed batch strength for every course which shall not be less than 20 students for each course;

B. the frequency with which each course shall be conducted annually;

C. the proposed fee structure for every course;

D. the proposed number of classrooms; and

E. the proposed number of faculty.

vii. The annual capacity for each course shall be based on the approved batch strength for every course and the frequency with which every course shall be conducted annually. The total annual capacity for all courses to be conducted shall be a sum of the annual capacity of all courses.

viii. The details of the proposed statutory courses and value-added courses to be conducted in the institute shall be submitted.

(e) The Screening Committee as constituted by the Approving Authority shall evaluate the application and supporting documents. Based on the recommendations of the Screening Committee and the material on record, the Approving Authority shall grant in-principle approval or reject the same, within a month from the date of application. In cases of deficiency in application, it shall be communicated to the applicant and he/she can re-apply after rectification. If in-principal approval is granted, a system-generated unique provisional IVNTI No. will be issued to the Institute.

(f) The validity of the in-principle approval shall be 5 years from the date of its receipt for commencement of long-term residential courses and 2 years from the date of its receipt for commencement of classroom courses.

1.4 **Procedure for final approval of the Institute**

(a) The applicant shall communicate the readiness of the institute anytime within the period of validity of in-principle approval, to the Approving Authority, after which Field Visit Committee ("FVC") shall physically verify the readiness of the institute.

(b) Applicants shall submit their application for final approval along with self-attested copies as per online application formats.

(c) The Screening Committee shall evaluate application along with self-attested copies submitted by the applicants.

(d) FVC shall be constituted by Approving Authority. The FVC shall verify physically the infrastructural facilities of the institution.

(e) FVC shall verify readiness with respect to infrastructure, administration, amenities, laboratory equipment, relevant documents and other essential and desirable requirements of the IVNTIs.

(f) FVC shall also verify the progress made in appointing the Principal/ Director and faculty under the conditions specified in this Schedule.

(g) The FVC may ask for the original documents for verification.

(h) They shall verify the actual availability of equipment as per the curriculum and syllabus and computers, software, internet, printers, book titles, book volumes, subscription of national and international journals and entry in the digital stock registers of the IVNTI.

(i) At the time of physical inspection by FVC, the institution shall arrange for video recording at the expense of the institution, with the date and time of the entire proceedings of the FVC. The institution shall upload the same on the website of the training institute and share the link in the web portal.

(j) After completion of the verification, the FVC shall submit its recommendations to the Approving Authority.

(k) Applicants shall be called for making presentation to the Approving Authority.

1.5 **Grant of Final Approval**

(a) Approving Authority after considering the recommendations of the Committees, and material on record shall take a decision i.e. either decide to grant approval or otherwise communicate deficiencies or may reject the same within 60 days of receipt of an application for final approval. In case of communication of deficiencies, the applicant may re-apply after rectification.

(b) The decision of the Approving Authority shall be uploaded on the Web-Portal in the form of Letter of Approval (LoA) or Letter of Deficiency (LoD)/ Letter of Rejection (LoR). In case of rejection, specific reasons for rejection shall be communicated.

(c) The applicant must obtain the final approval within the validity period of in-principle approval.

(d) The permanent IVNTI No. will be issued once the IVNTI is approved for conducting statutory or other courses

1.6 **Approval of courses conducted by IVNTI**

(a) The courses offered by the institute shall be in accordance with Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 and the syllabus and duration of the courses shall be such as may be specified IWAI.

(b) Approval of "Basic safety and security Training" course [i.e. Personal Survival Techniques (PST), Personal Safety & Social Responsibility (PSSR), Elementary First Aid (EFA), Fire Prevention & Fire Fighting (FPFF)] and Security Training for Seafarers with Designated Security Duties (STSDSD) shall be considered as a composite package at any point of time.

(c) No Inland Vessel Navigation Training Institute shall be approved for less than five courses. The Basic safety and security Training course which consists of 5 courses as mentioned in 1.10.3 shall be considered equivalent to 5 courses.

(d) All the approvals of IVNTI shall be deemed to be withdrawn if the Inland Vessel Navigation Training Institute conducts less than five courses for a period of six months.

1.7 **Transfer of premises**

Institutes shall apply afresh with applicable processing fees for approvals in case of transfer or shifting of premises of the institute from one location or place to another location or place. Institute shall actually shift only after such approval is granted. Such applications shall be disposed within 60 days of receipt.

1.8 **Authorized signatories**

Institutes shall nominate authorized signatories to communicate with the Approving Authority.

1.9 **Quality standards**

The institutes shall comply with the following quality standards:

(a) IVNTI's shall obtain ISO certification or equivalent within 12 months of receiving final approval.

(b) Compliance with basic safety and security courses as per the syllabus to be specified by IWAI

(c) The IVNTIs shall ensure that the principal, faculty, and instructors & visiting faculty comply with the qualifications specified in Part 3 of this Schedule.

Part 2 – Infrastructure

2.1 **Establishment of new IVNTI**

(a) Eligibility entity under Section 1.2 of this Schedule must have lawful possession of required leased or owned land or building before submission of application for final approval.

(b) The building shall be constructed in accordance with the applicable local or municipal laws and shall have a valid occupancy certificate issued by the statutory authority concerned.

2.2 Land Requirements

(a) Land requirements for:

i. Institutes proposing to conduct GP Rating courses (residential) shall have an independent campus of a minimum 2 Acres (owned or leased). The period of leased land must be a minimum of 10 years.

ii. Institutes proposing to conduct classroom courses only can meet the infrastructure requirement as specified in this schedule through leased/owned premises provided they meet the requisite requirements such as swimming pool, fire mockups tie ups etc on their own or through tie ups.

(b) Land or leased premises shall be used primarily for conducting courses approved by the Approving Authority.

(c) Construction and Safety of the building shall comply with the following requirements:

i. Buildings shall have regular construction with proper roofing.

ii. Buildings shall be equipped with fire detection and fire alarm system.

iii. Buildings shall have electrical safety and ensure a bug-free environment.

iv. There shall be supply of clean and potable water with purification facility.

v. There shall be an alternate source of electric supply for essential services.

2.3 **Facilities**

(a) Administrative and Faculty Areas shall comply with the following requirements:

i. There shall be separate room of at least 8 m^2 for Principal/head of Institute.

ii. There shall be at least 4 m^2 carpet area per full-time faculty member.

iii. Faculty shall be provided with appropriate furniture including chair, table, and cupboard.

(b) Classrooms shall comply with the following requirements:

i. size requirements shall be at least 30 m² for upto 20 students, at least 36 m² for upto 24 students, at least 50 m² for upto 40 students. The minimum size of a class room shall be 30 m².

ii. clear visibility shall be ensured.

iii. provisions shall be made for raised platform, table, and chair for faculty.

iv. every student shall be provided with desk and chair.

v. notice board shall be provided in common area and at classroom entrance.

vi. provision for good ventilation, lighting, and temperature control shall be made.

(c) The following teaching aids shall be provided:

i. overhead Projector or computer with projector in each classroom.

ii. technology based aids such as educational apps, interactive whiteboards

iii. black or white or smart boards with writing materials.

iv. audio-visual equipment, maps, and models of vessels.

v. learning management systems

(d) There shall be a dedicated library and shall comply with the following requirements:

i. area of 20-50 m² based on course type.

ii. adequate seating, lighting, and ventilation.

iii. stocked with textbooks, publications, and reference materials.

iv. at least three internet-enabled workstations shall be provided.

(e) Following general facilities shall be provided:

i. photocopying facilities

ii. refreshment area with hygienic food service.

iii. toilet facilities (1 per 40 candidates, 75% urinals).

iv. internet facilities

v. recreation room and playground for residential courses

vi. parade ground and auditorium for residential courses

2.4. **The following academic facilities shall be provided:**

(a) Computer Training

i. There shall be dedicated space for computer training.

ii. At least 5 workstations shall be provided per 40 candidates.

(b) Boat Work and Swimming Facilities

i. Formal agreement with outside agencies, if on-campus facility is not possible.

ii. Swimming pool (50 ft x 30 ft, depth 3-12 ft) or tie-up arrangement with similar specifications.

(c) Fire Fighting Mock-up

Own facility or tie-up arrangement for practical training.

(d) Catering (for Residential Courses i.e. GP Rating Courses)

i. Hygienic kitchen with proper ventilation and pest control.

ii. Nutritious and fresh food served.

iii. Dining hall to seat all candidates (or half with staggered meal times).

iv. Wash facilities for utensils and hand washing.

(e) Hostel and Residential Facilities

i. Rooms

A. Maximum 4 candidates per room.

B. Minimum 4 m^2 floor area per candidate.

C. Two-tier bunks allowed for rating candidates.

ii. Ventilation and Utilities

A. Natural ventilation with adequate lighting and fans.

B. Cupboard space, cot, mattress, and personal utilities provided.

iii. Toilet Facilities

A. 1 wash basin, 1 shower, and 1 WC per 4 candidates.

B. 1 urinal per 20 candidates.

C. Western-style WCs with toilet seats.

D. 24-hour water supply with hot water in showers.

iv. Linen and Laundry

A. New linen shall be provided at the commencement of courses.

B. Weekly linen change shall be done.

C. Laundry service, in-house or outsourced, as the case may be shall be provided.

D. Ironing facilities shall be provided.

Part 3 – Human resources

3.1 **General Requirements**

(a) A Principal/Head shall be appointed on permanent basis.

(b) Courses require qualified faculties in accordance with Part 3.2 of this Schedule.

(c) 50% of faculty in each category of courses must be full-time.

(d) Visiting faculty shall be engaged on a part-time basis.

(e) Permanent faculty shall be available during working hours.

(f) Contractual faculty employed for equal to or more than 3 months shall be considered permanent.

(g) Encourage industry experts to contribute as visiting faculty.

(h) A designated course in-charge shall be in place for every course.

(i) 50% of lectures or training by permanent faculty.

(j) Emphasize on the pedagogic abilities of faculty.

(k) Proper employment contracts for faculty shall be required.

3.2 **Qualification and Exemption**

(a) Emphasize pedagogic abilities.

(b) Principal/Vice-Principal shall have the following minimum qualifications:

Minimum COC as Master (FG) or Chief Engineer (MEO Class I) or holder of Certificate of Services (COS) having served as a master or engineer of the vessel of the Coast Guard, Indian Navy or Army.

(c) Faculty shall undertake Trainer and Assessor Course as mandated by IWAI from time to time

(d) For courses as per Inland Vessels (Manning) Rules, 2022 preference shall be given to faculty who have an M.Sc./ M.Tech / B.Tech / Domain Experts.

(e) Instructors must be qualified and experienced in subject matter.

(f) Minimum & detailed qualification requirements for faculty shall be:

i. Possesses a Ministry of Transport Master (Foreign Going) or Marine Engine -Officer (MEO) Class I Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 5 years' experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports; from any DG Shipping approved training institute / IWAI approved institutes prospectively, or

ii. Possesses a Ministry of Transport First Mate (Foreign Going) or Marine Engine -Officer (MEO) Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 7 years' experience as Certificated Officer on ships or State Maritime Boards or Directorate General of Shipping or Ports; from any DG Shipping approved training institute / IWAI approved institutes prospectively or

iii. Possesses academic qualification Secondary School Certificate (SSC) and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 15 years of service onboard inland vessels as Certificated Officer of which at least 5 years shall be in the capacity of a Master or Chief Engineer; or

iv. Possesses a Master [Near Coastal Voyage Vessel (NCV)] or Marine Engine -Officer (MEO) Class III (Near Coastal Voyage Vessel -Chief Engineer Officer) Certificate with a minimum of 10 years of sailing experience of which at least 5 years shall be in the capacity of Master or Chief Engineer.

v. The personnel from Indian Navy/Coast Guard have under gone long Navigation and Direction (Long ND) course with a minimum of 5 years of sailing experience and Education Officers with minimum of 5 years teaching experience

(g) The faculty for GP Rating courses and basic STCW Safety Training and STSDSD course shall be minimum holder of COC as Master-NCV, or Chief Mate (FG) or MEO Class III (CEO) or MEO Class II.

3.3 **Teaching Hours**

(a) Principal/Vice Principal: Maximum 16 hours per week.

(b) Permanent faculty: Maximum 18 hours per week.

(c) Instructors: Maximum 24 hours per week.

3.4 **Age and Medical Fitness**

(a) Maximum Age limits for:

i. Principal or permanent faculty is 70 years;

ii. visiting faculty is 72 years;

iii. instructor is 65 years.

(b) Staff must be medically fit and capable of clear communication.

3.5 **Faculty Load Matrix / Details**

(a) Keep staff details updated at all times on the website of the institute and the centralized web portal.

(b) Whenever there is change in Principal, faculty and instructor, the IVNTI must upload a fresh the complete faculty load matrix. If there is no change, the complete faculty load matrix is to be uploaded every six months.

Part 4 – Administrative requirement

4.1 **Advertisements/Brochure/Prospectus and Websites**

(a) Full disclosure shall be required in advertisements promoting the IVNTI.

(b) Advertisements or brochure or prospectus shall include statement about on-board training.

(c) No misleading claims should be made.

4.2 **Admission Standards**

(a) Any Indian citizen desirous of obtaining admission in an approved training institute shall meet the eligibility criteria specified under the Inland Vessels (Manning) Rules, 2022.

(b) Any foreign citizen desirous of obtaining admission in an approved training institute shall meet the required equivalent qualifications.

4.3 **Verification of Documents**

(a) Scrutinize original documents before admission.

(b) Issue original certificates upon course completion.

4.4 **Course Fees**

(a) Course fees shall be fixed by individual institutes.

(b) A uniform fee structure shall be specified by the approved training institute. Provided that different fee structures which are lower than the uniform fee structure, may be specified for candidates belonging to SC, ST, EWS and women.

(c) The IVNTI shall give proper receipts for fee charge to the candidate. The IVNTIs shall not collect any fee in cash.

4.5 **Practical Training**

(a) Compulsory video recordings of all practical training shall be made.

4.6 **Batch Details**

(a) Upload batch details on the website of the institute and the centralized web portal within stipulated time.

4.7 **Biometric Attendance**

(a) The minimum attendance required shall be 100% for courses whose duration is less than 6 days and 80% for all other courses.

(b) Biometric attendance for all staff and candidates shall be mandatory.

4.8 **Conduct of Course**

(a) Follow course guidelines and syllabus published by IWAI and update the content from time to time.

(b) Monthly timetable shall be published on website of IVNTI.

(c) Courses shall be conducted only during daytime hours.

(d) No partial course conduct allowed that is the course material should be covered in its entirety.

(e) Staggered batches may be allowed for certain courses.

(f) Batch numbering system shall start with 001 every year.

(g) Year shall be construed as calendar year.

4.9 **Evaluation and Monitoring**

(a) IVNTIs shall implement continuous evaluation system.

4.10 **Final Examination**

(a) Conduct final examinations in accordance with Inland Vessels (Manning) Rules, 2022/Guidelines issued by IWAI.

(b) Re-examination for failed candidates.

4.11 **Certificate Issuance**

(a) Format of course completion certificate shall be such as may be specified by IWAI.

(b) Include IVNTI No. on all certificates.

(c) Use system-generated certificate numbers.

(d) Authorized signatories shall be required to sign the certificate.

4.12 **Uniforms and Identity Cards**

(a) Mandatory wearing of prescribed uniforms for faculty and candidates on campus.

(b) All staff, faculty and candidates must have laminated photo identity cards.

4.14 **Value Added Courses**

(a) Every IVNTI shall provide intimation for starting value added courses and shall ensure that the statutory courses shall not be compromised due to the conduct of any other value-added courses

(b) A disclaimer shall be added for value added course stating that they are non-statutory.

4.15 **Feedback Mechanism**

(a) Implement compulsory feedback mechanism and obtain feedback from the candidates on completion of course.

4.16 **Ban on Ragging**

(a) Enforce strict measures to prevent ragging.

(b) Report all cases to Approving Authority.

4.17. Placement of students for shipboard training

Every IVNTI shall have a placement cell which shall endeavor to provide placements on inland vessels.

4.18 **Records**

Maintain the following records for 5 years which shall be readily made available for verification:

a) Final approval granted under this Schedule

b) Proof of ownership or valid lease deed

c) Tie-up or any other agreements for swimming pool and other such facilities, if any

d) Admission records

e) Documents related to practical training facility details/type approval etc., such as fire mock up, swimming pool, water body, type approvals, load test etc.

f) Last Comprehensive Inspection Programme report, surprise inspection report, quality audit report

g) Advertisements and brochures published

h) Complete Faculty load matrix

i) Complete classroom utilization chart

j) Records of placement of candidates

k) Application and attested photocopy duly signed by the respective candidate of all supporting documents.

l) Records of fee charged to the candidate

m) Bio metric attendance report of Principal, permanent faculty, visiting faculty, instructors, and

n) Answer-scripts and other assessment records for at least twelve months thereafter. Further the approved or authorizes agency may also ask questions to some of the candidates during the surprise/annual inspection to assess the general quality of training imparted.

o) Records of faculty / instructor training and faculty / instructor evaluation.

p) Record of written declaration by the visiting faculty stating that he/she shall not exceed 18 hours of delivering lectures in a week.

q) Record of annual medical fitness of Principal, faculty and instructors above 65 years of age

r) Record of all cases of ragging, however minor and the action taken thereon by the Institute

s) Feedback data from candidates and stakeholders in paper/ electronic form

Part 5 – Inspection and disciplinary action

a) Inspection

i. Field Visiting Committee may conduct inspections biennially and may also carry unscheduled inspections with the permission of Approving Authority.

ii. Inspections shall verify compliance with the administrative requirements specified in Part 4 of this Schedule.

iii. Inspection reports shall be communicated within 7 days to the institutes stating deficiencies and rectification timeframe.

b) Comprehensive Inspection Programme (CIP)

i. IVNTIs shall undergo CIP inspections at intervals of five years.

ii. The Approving Authority shall assign the institute with a Grading (based on the credit-points scored by the institute as per the assessment checklist), reflecting the overall grading of the institute for the courses, as shown in the Table below:

Table 1: GRADING SCALE

SL No.	% Score of Credit	Points	Grade Remarks
1	80% & above	A1	Outstanding
2.	70-79.9%	A2	Very Good
3.	60-69.9%	B1	Good
4.	50-59.9%	B2	Average
5.	40-49.9%	C1	Below Average
6.	Below 40%	C2	Poor

iii. The Grading shall be valid for five years from the date of conduct of the CIP unless revoked by the Approving Authority concerned. However, the Approving Authority may re-assign the grading during the biennial inspections or based on Additional inspections at the request of the Institute.

c) Methodology for Grading shall be such as may be specified by IWAI.

External Assistance for Inspection

i. Approving Authority may empanel external members to assist in inspections.

ii. External inspectors shall meet the following requirements:

A. Not more than 72 years old

B. Holder of COC as master (FG) or MEO Class-I

C. Completed ISO lead auditor course

d) Suspension and Cancellation of Final Approval

i.The approving authority may suspend or cancel the final approval granted to a IVNTI if:

A. it has reason to believe that such institute has contravened any standard specified in this Schedule, as a result of any inspection carried out under this Schedule or otherwise; or

B. The Grading assigned to the IVNTI after conduct of the CIP is below average or poor.

ii.The approving authority shall, after giving the owner of IVNTI an opportunity of being heard, issue a notice of suspension to the IVNTI stating the errors to be rectified and conditions that have to be complied with by the IVNTI, along the time period within which such rectification may take place from the date of issuance of such notice.

Provided that in case of any major deficiency or major deviation from this Schedule by the IVNTI the approving authority may issue the notice of suspension immediately.

iii.After issuance of a notice of suspension, the IVNTI shall not admit any new students till the errors and conditions specified in the notice of suspension are complied with by the IVNTI within the period specified in such notice.

iv.In the event of non-compliance with the notice of suspension by the IVNTI within the period specified in such notice, the approving authority may issue the order of cancellation of the final approval recording the non-compliance, after giving the owner of IVNTI an opportunity of being heard, which shall come into force with immediate effect.

v.In case of emergencies, the approving authority may issue directions to any institute based on inspections or other material on record to cure deficiencies.

vi.No IVNTI shall operate after its final approval has been cancelled by the Approving Authority.

e) Display of approvals

All approvals issued by the Approving Authority shall be displayed on a prominent place in the training institute and its website, if any.

f) Discontinuation of Courses/Closure of Institution

i.Every IVNTI before discontinuing a particular course or closure of the institute, shall give a three month's intimation to the Approving Authority prior to such discontinuation or closure.

Provided that individual basic safety and security courses from the composite package of five basic safety and security courses shall not be discontinued.

ii.Courses for existing batches shall continue to be held till their completion and no existing batch shall be adversely affected by way of such discontinuation of course or closure of the institute."

19. In the said rules, in Form No. 1, before serial number 1 relating to Name of the applicant, for the words "Inland Waterways Authority of India empanelled MBBS medical practitioner or medical officer", the words "MBBS doctor" shall be substituted.

20. In the said rules, in Form No. 2, for the words "see rule 13(1)", the words "see rule 18(3)" shall be substituted.

21. After, Form No. 3 of the said rules the following forms shall be added, namely.–

"Form No. 4

GOVERNMENT OF ……………..

Certificate of Competency (CoC)

as

MASTER FIRST CLASS / MASTER SECOND CLASS /MASTER THIRD CLASS (SERANG)

OF AN INLAND VESSEL UNDER I.V. ACT 2021

CoC No. …………………

ADDRESS OF ISSUING AUTHORITY

CONTACT NO OF ISSUING AUTHORITY:……

To,

………………………………………………………………………Whereas on the evaluation of the report provided by the examiner appointed under Section 36 of the Inland Vessel Act 2021, you have been found duly qualified to serve Master First/Second/Third Class on a mechanically propelled inland vessel, I do hereby, in pursuance of section 38 of the said Act, grant you this certificate of competency as MASTER FIRST CLASS / MASTER SECOND CLASS /MASTER THIRD CLASS (SERANG) of an Inland Vessel.

Issued this ……../…..…../……….......

Valid till ……../………/…………….

This CoC is valid throughout India. The compliance of the additional competence is to be endorsed on page 9/10.

Sign & Stamp Sign & Stamp

(Examining Authority) (Issuing Authority)

02

Date of Birth: ……..../……..…./…………….

Place of Birth: …………………………………….…………..……..

Address: ………………………………………………………..…….

………………………………………………………..…….

………………………………………………………………..

Examination Passed at: …………………… on ……..…..……..

: ………………...……

Photo of Candidate

Signature of the Candidate

Details of pervious certificate of Competency (CoC)

CoC No: ..…………………… Grade: …………….….……….

Date of Issue: …………/…..………../……..…………...

Delivered at: ……………………..… on ………………………..…

Name & Signature of duly Authorised official

04

LIMITATIONS (IF ANY)

ENDORSEMENT (SPECIAL VESSEL)

Signature of the Candidate

ADDITIONAL COMPETENCE SPECIFIC TO NAVIGATION AREA

Note:

1. Any Second Class Master of Inland vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty under Section 40 & Section 79 of the Inland Vessels Act, 2021.

2.Any Person other than the holder of this certificate who comes in possession of this Certificate is required to inform it forthwith to the issuing authority.

Form No. 5

GOVERNMENT OF ……………..
Certificate of Competency (CoC)
as
ENGINE DRIVER FIRST CLASS / ENGINE DRIVER SECOND CLASS / INLAND VESSEL ENGINEER

OF AN INLAND VESSEL UNDER I.V. ACT 2021
CoC No. …………………

ADDRESS OF ISSUING AUTHORITY

CONTACT NO. OF ISSUING AUTHORITY:………………………

CoC No. ………….

To,

……………………………………………………………………Whereas on the evaluation of the report provided by the examiner appointed under Section 36 of the Inland Vessel Act 2021, you have been found duly qualified to serve Engine Driver First Class /Engine Driver Second Class / Inland Vessel Engineer on mechanically propelled inland vessel, I do hereby, in pursuance of Section 37 of the said Act, grant you this certificate of competency as Engine Driver First Class / Engine Driver Second Class /Inland Vessel Engineer of an Inland Vessel.

Issued on ……..../…..…../………......

This CoC is valid throughout India.

Sign & Stamp	Sign & Stamp
(Examining Authority)	(Issuing Authority)

Date of Birth: ……..../……..…/…………….
Place of Birth: ……………………………………….…….……..
Address: ………………………………………………….…….
……………………………………………………….…….
……………………………………………………………..

Examination Passed at: …… on ……..…..……..

CoC No: ……..……

Signature of the Candidate

Details of pervious certificate of Competency (CoC/CoS)

CoC No: ..……..…… Grade: ……..…..…….

Date of Issue: ……/…..……../……..……...

Delivered at: ……..……..… on ……..…

Name & Signature of duly Authorized official

LIMITATIONS (IF ANY)

ENDORSEMENT (SPECIAL VESSEL)

Signature of the Candidate

Note:

1. Any First Class Engine Driver of Inland vessel who fails to handover the certificate which has been cancelled or suspended is liable to penalty under Section 87(2) of the Inland Vessels Act, 2021.
2. Any Person other than the holder of this certificate who comes in possession of this Certificate is required to inform it forthwith to the issuing authority."

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT(4)]

Dr. KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.05 15:35:33 +05'30'